

सरकारी कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

'सामग्री के प्रापण एवं प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सार

निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2012-13 से 2016-17 के अवधि के दौरान जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के सामग्री के प्रापण एवं प्रबंधन कार्य को सम्मिलित करती है।

राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (आरटीपीपी अधिनियम)

राजस्थान सरकार (राज्य सरकार) द्वारा आरटीपीपी अधिनियम को लागू किया गया (मई 2012) एवं इसके अधीन नियम अधिसूचित किये (जनवरी 2013)। अधिनियम के द्वारा माल के प्रापण, सेवाओं एवं कार्यों से संबंधित तत्समय लागू सभी नियमों एवं विनियमों को निष्प्रभावी कर दिया गया। कम्पनी, तथापि, अधिनियम/ नियमों के अनुसार क्रय मैनुअल एवं मानक निविदा प्रलेखों को पुनरीक्षित करने में विफल रही।

सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण

चयनित सहायक भण्डार नियंत्रक (एसीओएस) एवं चयनित उपखण्डीय स्टोर्स ने सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण की निर्धारित क्रियाविधि का अनुसरण नहीं किया। वृत्त कार्यालयों एवं उपखण्डों के पास कार्यानुसार/ उपखण्डानुसार सामग्री की आवश्यकता के संबंध में जोनल मुख्य अभियंता (जेडसीई) को प्रस्तुत किये गये कोई प्रलेख उपलब्ध नहीं थे। चालू वर्ष के लिए सामग्री का निर्धारण वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखे बिना पिछले वर्ष के आधार पर किया गया था। साथ ही, क्रय नियोजन एवं प्रबंध समिति (पीपीएम समिति) द्वारा 2012-13 से 2016-17 के दौरान कभी भी वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया गया।

निविदाओं का अन्तिम निर्धारण

चयनित की गई 40 निविदाओं में से 29 निविदाओं (72.50 प्रतिशत) को कम्पनी ने 120 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद अन्तिम रूप दिया। यह देरी 4 दिन से 589 दिनों के मध्य थी। साथ ही, संबंधित प्राधिकारी ने क्रय मैनुअल के उल्लंघन में अगले उच्चतर प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना इन निविदाओं को अन्तिम रूप दिया।

सामग्री के प्रापण में कुशलता एवं प्रभावी शीलता

कम्पनी ने निर्धारित विशिष्ट विवरणों की पुष्टि नहीं करने वाली ₹ 83.80 करोड़ मूल्य की निम्न गुणवत्ता की सामग्री क्रय की। कम्पनी ने नयी निविदा में निम्नतर दरों के खुलने के उपरांत भी आपूर्तियों को स्वीकार करने के कारण, अतर्कसंगत उच्चतर दरों पर सामग्री के क्रय एवं निविदाओं के अविवेकपूर्ण निरस्तीकरण द्वारा उच्चतर दरों पर सामग्री क्रय करते हुए ₹ 6.31 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। कम्पनी ने बिना किसी आवश्यकता के सुपुर्दगी अनुसूची से पूर्व आपूर्तियों को स्वीकार करके ₹ 38.84

करोड़ के कोषों को भी अवरुद्ध किया। साथ ही, कम्पनी ने उचित निरीक्षण एवं जांच किये बिना सामग्री का क्रय किया जिसके परिणामतः निम्न गुणवत्ता अथवा घटिया सामग्री का क्रय किया गया।

सामग्री नियंत्रण

कम्पनी ने सामग्री के महत्वपूर्ण स्तरों को निर्धारित नहीं किया एवं मूल्य विश्लेषण अथवा चलन विश्लेषण भी नहीं किया गया। भण्डारण पर किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर भण्डारण दर भी निर्धारित नहीं की गई। एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स द्वारा भी निर्धारित प्रारूप में सामग्री का अभिलेख संधारित नहीं किया गया। सभी चयनित एसीओएस को उपखण्डों द्वारा प्रस्तुत किये गये मांगपत्रों पर कार्य पहचान मिमो का संदर्भ नहीं था एवं अनुमान कार्ड्स की प्रस्तुति के बिना ही सामग्री जारी की गई। किसी भी चयनित उपखण्डीय स्टोर्स ने प्रत्येक कार्यादेश के लिए कार्य पहचान मिमो, ट्रांसफॉर्मर चलन रजिस्टर एवं प्रत्येक जॉब के लिए सामग्री अनुमान कार्ड के अनुसार जॉब कार्ड संधारित नहीं किये थे। सहायक अभियंताओं ने आदेशों का उल्लंघन किया एवं मुद्रित मांगपत्रों के स्थान पर हस्तलिखित मांगपत्रों को अनुमोदित किया। भण्डारपालों ने भी हस्तलिखित मांगपत्रों के विरुद्ध सामग्री जारी की।

कम्पनी ने एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स पर सामग्री का वार्षिक रूप से भौतिक सत्यापन नहीं किया। एसीओएस के भौतिक सत्यापन के अन्तर्गत समयावधि 12 एवं 51 माह के बीच थी जबकि उपखण्डीय स्टोर्स के मामले में यह 16 एवं 57 माह के बीच थी।

निष्क्रिय सामग्री, भण्डारण, आधिक्य एवं कमी तथा चोरी, आगजनी एवं गबन

कम्पनी ने टर्नकी टेकेदारों से ₹ 8.18 करोड़ की अधिशेष सामग्री को स्वीकार किया जो आदेशों के अभाव, निगम स्तरीय क्रय समिति द्वारा अनुबंधों के समापन में देरी एवं तकनीक में परिवर्तन के कारण स्टोर्स में अप्रयुक्त रही। कम्पनी ने आवश्यकता से अधिक सामग्री का क्रय किया एवं फिल्ड कार्यालयों से मांग में कमी के कारण ₹ 10.49 करोड़ मूल्य की सामग्री एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स पर अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स ने अभिलेखों को संधारित नहीं किया एवं आदेशानुसार सामग्री की स्टेकिंग भी नहीं की। सामग्री सत्यापनकर्ताओं द्वारा सभी एसीओएस की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स में मार्च 2017 को ₹ 2.28 करोड़ की असमायोजित कमी एवं ₹ 2.61 करोड़ के आधिक्य को इंगित किया गया। निर्धारित अभिलेखों को संधारित नहीं करने एवं निरीक्षणों के अभाव, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रण एवं निगरानी के अभाव ने गबन एवं आगजनी की घटनाओं के लिए अवसर प्रदान किये। साथ ही, कम्पनी द्वारा उपखण्डीय स्टोर्स पर सामग्री का बीमा नहीं करवाया गया।

सिफारिशें

निष्पादन लेखापरीक्षा में छह सिफारिशें दी गई हैं जिनमें (i) आरटीपीपी अधिनियम एवं नियमों के अनुसार क्रय मैनुअल का पुनरीक्षण करना, (ii) सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण की प्रक्रिया को धारा प्रवाहित करना, (iii) निर्धारित समय सीमा में निविदाओं का अन्तिम निर्धारण, निविदाओं के निर्धारित क्रियाविधियों का पालन करना एवं विवेकपूर्ण ढंग से अनुबंधों को प्रदान करना (iv) निरीक्षण एवं जांच क्रियाविधियों को मजबूत बनाना एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामग्री की आपूर्ति के समय पर तकनीकी विशिष्ट विवरणों की कड़ी अनुपालना को सुनिश्चित करना, (v) सामग्री नियंत्रण तकनीकें अपनाएँ एवं सामग्री के निर्धारित अभिलेख संधारित करना तथा (vi) निर्दिष्ट अंतराल पर भौतिक सत्यापन करना एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स में इंगित की गई विसंगतियों पर सुधारात्मक कार्यवाही करना सम्मिलित हैं।

परिचय

2.1 राजस्थान (राज्य) में विद्युत वितरण नेटवर्क का प्रबंध राज्य आधारित तीन कम्पनियों यथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) द्वारा किया जाता है।

बढ़ती हुई विद्युत की मांग एवं नए उपभोक्ताओं के जुड़ने के साथ वितरण नेटवर्क को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, वर्तमान विद्युत प्रणाली के नियमित संचालन एवं रखरखाव (ओएण्डएम) तथा इसके पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा राज्य के लोगों को विद्युत की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ वितरण नेटवर्क की भी आवश्यकता है। एक बड़े एवं कुशल विद्युत वितरण नेटवर्क को बनाये रखने के लिए वृहत कोषों की जरूरत है। सामग्री के प्रापण एवं प्रबंध में मितव्ययिता, कुशलता एवं प्रभावशीलता सामग्री के अनावश्यक प्रापण, निष्क्रिय पड़ी सामग्री में कोषों की अवरुद्धता, एवं सामग्री रखरखाव लागत को कम करती है।


राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा सभा (14 जुलाई 2016) में देखा गया कि सामग्री की छीजत, चोरी एवं अप्रयुक्त रहने के कारण डिस्कॉम्स बड़ी हानि वहन कर रही थी। कोपू द्वारा स्टोर्स एवं कार्यस्थल पर सामग्री/उपकरण के भण्डारण; सामग्री का उपयोग, एवं अवशिष्ट/अप्रचलित सामग्री के निस्तारण पर जोर देते हुए डिस्कॉम्स के सामग्री प्रबंध तंत्र की लेखापरीक्षा करने का सुझाव दिया गया (25 जुलाई 2016)।

कोपू के विचारों एवं सुझावों, सामग्री के प्रापण में वृहत निवेश, एवं सामग्री के प्रबंध में निहित उच्च जोखिम को ध्यान में रखते हुए जेवीवीएनएल (कम्पनी) के संबंध में वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी (नवम्बर 2016 से मई 2017)। कम्पनी का चयन किया गया क्योंकि मार्च 2017 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में तीनों डिस्कॉम्स में इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार (36.26 प्रतिशत) था एवं सामग्री के प्रापण पर सर्वाधिक व्यय (₹ 4,619.49 करोड़) था। साथ ही, 2012-17 की अवधि के दौरान तीनों डिस्कॉम्स के लिए सामग्री के क्रय के लिए कम्पनी ने एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया।

प्रापण एवं सामग्री प्रबंध कार्य

2.2 कम्पनी में सामग्री प्रापण एवं प्रबंध का कार्य मुख्य अभियंता द्वारा निर्देशित सामग्री प्रबंध विंग (एमएम विंग) द्वारा निष्पादित किया जाता है। एमएम विंग में तीन वृत्त हैं: सामग्री प्रबंध वृत्त, प्रापण वृत्त, तथा निरीक्षण एवं भण्डार वृत्त। सामग्री की आवश्यकता का अंतिमीकरण एवं क्रय का कार्य सामग्री प्रबंध एवं प्रापण वृत्तों में निहित हैं। निरीक्षण एवं भण्डार (आईएण्डएस) वृत्त स्टोर्स के प्रबंध, सामग्री की जांच, स्टोर्स के निरीक्षण, एवं नीलामी के द्वारा अवशिष्ट के निस्तारण के कार्य में संलग्न है।

अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) के नियंत्रणाधीन सहायक भण्डार नियंत्रक (एसीओएस) को सामग्री की प्राप्ति, फिल्ड कार्यालयों को सामग्री जारी करने, तथा अवशिष्ट सामग्री के संग्रहण एवं निस्तारण का कार्य सौंपा गया है। उपस्वण्ड कार्यालयों द्वारा भी अपने स्वयं के स्टोर्स रखे जाते हैं एवं एसीओएस से सामग्री प्राप्त करते हैं। उपस्वण्डिय भण्डारों का रखरखाव भण्डारपालों द्वारा किया जाता है जो उपस्वण्ड के सहायक अभियंता को रिपोर्ट करते हैं।



क्रय किये जाने वाली सभी मर्दों के तकनीकी मानक एवं वाणिज्यिक विशिष्ट विवरण तीनों डिस्कॉम्स में एक समान हैं तथा एक तकनीकी एवं वाणिज्यिक विशिष्ट विवरण समिति¹ द्वारा इन्हें अन्तिम रूप दिया जाता है। ₹ 50 लाख तक के क्रय के मामले अधीक्षण अभियंता (एसई) स्तरीय क्रय समिति द्वारा निश्चित किये जाते हैं। ₹ 50 लाख से अधिक एवं ₹ 1.50 करोड़ तक की वित्तीय प्रभाव वाली निविदाएं मुख्य अभियंता (सीई) स्तरीय क्रय समिति द्वारा निश्चित किये जाते हैं। ₹ 1.50 करोड़ से अधिक मूल्य के क्रय के मामले निगम स्तरीय क्रय समिति² (सीएलपीसी) द्वारा निश्चित किये जाते हैं जिसका अध्यक्ष कम्पनी का प्रबंध निदेशक होता है।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा में 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान कम्पनी के प्रापण एवं सामग्री प्रबंध संबंधी कार्यों को सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में सीई (एमएम) कार्यालय में कुल 353 निविदाओं में से 40 उच्च मूल्य³ की निविदाओं की विस्तृत समीक्षा को सम्मिलित किया गया। कम्पनी द्वारा 2012-17 के दौरान किये गये कुल क्रय (₹ 4,619.49 करोड़) में इन उच्च मूल्य की निविदाओं (₹ 1,814.75 करोड़) का 39.28 प्रतिशत भाग था। सामग्री प्रबंध कार्य की समीक्षा 13 एसीओएस में से 4 (जयपुर शहर वृत्त, जयपुर जिला वृत्त, अलवर एवं कोटा) में की गई। 2012-17 के दौरान सामग्री के अधिकतम उपभोग के आधार पर चार एसीओएस कार्यालयों का चयन किया गया था।

1 जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल के सीई/डिप्टी सीई (क्रय शाखा); सीई (ओएण्डएम)/ जोनल सीई, जेवीवीएनएल; मुख्य लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण), जेवीवीएनएल; एवं एसई (एमएम/ प्रापण), जेवीवीएनएल।

2 समिति के अन्य सदस्य निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), सीई (एमएम) एवं जोनल सीई (जयपुर जोन) थे। संबंधित एसई (एमएम)/ एसई (प्रापण) एवं सीएओ (वित्तीय प्रबंध एवं अर्थोपाय) भी चर्चा के दौरान सहयोगी थे।

3 निविदाओं का मूल्य ₹ 1.55 करोड़ एवं ₹ 245 करोड़ के बीच था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.4 निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने के लिए की गई कि क्या:

- सामग्री की आवश्यकता निर्धारण करने के लिए एक पर्याप्त प्रणाली विद्यमान थी
- सामग्री का प्रापण मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावपूर्ण था
- कम्पनी का सामग्री प्रबंध तंत्र वैज्ञानिक एवं प्रभावकारी था एवं
- सामग्री के भौतिक सत्यापन एवं अप्रचलित / अवशिष्ट मदों के समयपूर्वक निस्तारण का पर्याप्त तंत्र था।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त लेखापरीक्षा मापदण्डों को अपनाया गया:

- क्रय मैनुअल, स्टोर्स मैनुअल एवं सामग्री के प्रापण एवं प्रबंध से संबंधित कार्यालय आदेश/ परिपत्र
- अनुबंध की सामान्य शर्तें, निविदा एग्रीमेंट एवं कार्यादेश/ क्रयादेश में लिखित नियम एवं शर्तें
- बजट एवं सामग्री के प्रापण में शामिल विभिन्न समितियों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त
- राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (आरटीपीपी अधिनियम, 2012) एवं आरटीपीपी नियम, 2013 एवं
- कम्पनी की प्रबंध सूचना प्रणाली एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेखा

लेखापरीक्षा कार्यविधि

2.6 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लेखापरीक्षा मापदण्डों के संदर्भ में अपनाई गई कार्यविधि में निम्नलिखित को समाहित किया गया:

- प्रविष्टि सभा (फरवरी 2017) के दौरान सरकार/ कम्पनी के समक्ष लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा मापदण्डों को स्पष्ट करना
- कम्पनी के प्रधान कार्यालय, सामग्री प्रबंध विंग तथा चयनित एसीओएस पर अभिलेखों की संवीक्षा करना
- लेखापरीक्षा प्रश्नावली एवं प्रबंधन के साथ चर्चा करना
- सरकार/ कम्पनी को टिप्पणी एवं उन पर प्रत्युत्तर के लिए प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना (जुलाई 2017) एवं
- 6 सितम्बर 2017 को आयोजित समापन सभा के दौरान लेखापरीक्षा परिणामों पर सरकार/ कम्पनी के साथ चर्चा करना।

आभार

2.7 इस लेखापरीक्षा के दौरान आवश्यक अभिलेखों को उपलब्ध कराने में कम्पनी एवं इसके फिल्ड कार्यालयों द्वारा किये गये सहयोग के लिए हम आभार प्रकट करते हैं। हमने 8 फरवरी 2017 को सरकार एवं कम्पनी के साथ प्रविष्टि सभा में निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों एवं इसके क्षेत्र पर चर्चा की एवं 6 सितम्बर 2017 को समापन सभा का आयोजन किया गया। प्रतिवेदन में, समापन सभा में रखे गये सरकार एवं कम्पनी के विचारों को प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर इसके उत्तर (23 अगस्त 2017) के साथ सम्मिलित कर लिया गया।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.8 लेखापरीक्षा परिणाम मुख्यतः आरटीपीपी अधिनियम/ नियमों के क्रियान्वयन, सामग्री के प्रापण एवं एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स के स्तर पर सामग्री के प्रबंध से संबंधित मामलों को सम्मिलित करते हैं।

आरटीपीपी अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन

2.9 सामग्री प्रापण एवं स्टोर्स संबंधित कार्यों के नियमन के लिए कम्पनी द्वारा तात्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) जो जुलाई 2000 में पांच कम्पनियों में विभाजित हो गया था, की क्रय एवं स्टोर्स मैनुअल का अनुकरण करती रही। कम्पनी द्वारा समय समय पर क्रय मैनुअल को संशोधित किया गया।

लोक प्रापण के नियमन के लिए राज्य सरकार द्वारा आरटीपीपी अधिनियम, 2012 लागू किया गया (22 मई 2012) एवं आरटीपीपी नियम, 2013 अधिसूचित किये (जनवरी 2013)। आरटीपीपी अधिनियम, 2012 राज्य सरकार द्वारा धारित अथवा नियंत्रित राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लागू होता है (अधिनियम की धारा-3)। आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 86 द्वारा इनके लागू होने की तिथि से माल के प्रापण, सेवाओं अथवा कार्यों से संबंधित सभी नियमों एवं विनियमों को उस सीमा तक निष्प्रभावी कर दिया गया जिस सीमा तक ये चीजें उन नियमों के अंतर्गत आती थीं। अधिनियम की धारा 56 द्वारा कम्पनी को दिशानिर्देशों, क्रियाविधियों, सामान्य प्रपत्रों, मानक विशिष्ट विवरणों एवं अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों के अनुरूप मैनुअल्स को जारी करने की अनुमति प्रदान की गई। साथ ही, धारा 56 के अंतर्गत एक प्रापण करने वाली कम्पनी द्वारा जारी किये गये सभी दिशानिर्देशों को राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाना आवश्यक था।

डिस्कॉम्स समन्वय फोरम द्वारा डिस्कॉम्स को क्रय मैनुअल की समीक्षा करने एवं इसमें निर्दिष्ट की गई क्रियाविधियां आरटीपीपी अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों/वाक्यांशों के अनुरूप होने को सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया (जनवरी 2014)। तथापि, क्रय मैनुअल का पुनरीक्षण नहीं किया गया एवं इस प्रकार डिस्कॉम्स द्वारा राज्य सरकार को कुछ शर्तों में ढील प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया (अप्रैल 2016)। तथापि, राज्य सरकार की स्वीकृति प्रतीक्षित थी (मई 2017)।

बाद में, डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा मानक निविदा प्रलेख के साथ क्रय एवं स्टोर्स मैनुअल को तैयार/पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति गठित की गई (8 अगस्त 2016)। तथापि, आरटीपीपी अधिनियम के अनुसार क्रय मैनुअल, मानक निविदा प्रलेख, एवं स्टोर्स मैनुअल का पुनरीक्षण नहीं किया गया था (अगस्त 2017)।

सरकार ने अपने उत्तर एवं निकासी सभा के दौरान बताया कि क्रय मैनुअल का पुनरीक्षण अन्तिम चरण में था एवं पुनरीक्षित मैनुअल को 2017-18 के दौरान लागू कर दिया जायेगा।


सामग्री का प्रापण

2.10 सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण एवं क्रय मैनुअल की निर्धारित क्रियाविधियों की अनुपालना नहीं करने, विशिष्ट विवरणों की पुष्टि नहीं करने वाली सामग्री के क्रय, सामग्री का अमितव्ययी क्रय, सुपुर्दगी सूची को समयपूर्व करना, एवं बिना उचित जांच एवं निरीक्षण के सामग्री का प्रापण करने में कमियां थीं। लेखापरीक्षा संवीक्षा द्वारा चयनित 40 निविदाओं में से 31 (77.50 प्रतिशत) में ₹ 164.54 करोड़ की धनराशि को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार कमियों को उजागर किया गया।

सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण

2.11 सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण क्रय एवं स्टोर्स मैनुअल द्वारा मार्गदर्शित होता है। स्टोर्स मैनुअल के अनुसार कम्पनी द्वारा केन्द्रीकृत खरीद वाली मदों के संबंध में वार्षिक रूप से एक निश्चित अनुमान तैयार करना आवश्यक है। क्रय मैनुअल में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 'प्रापण नियोजन एवं प्रबंध (पीपीएम)' समिति⁴ द्वारा मदानुसार वार्षिक आवश्यकता का निर्धारण किया जायेगा। भौतिक लक्ष्य, बजट प्रावधान, स्टॉक की स्थिति, स्टोर्स में एवं कार्यस्थल पर उपलब्ध भौतिक शेष, बकाया क्रयदेशों के विरुद्ध प्रतीक्षित सामग्री की मात्रा, एवं सामान्य प्रापण एवं लीड समय पर आधारित अगले वर्ष के लिए आंशिक मात्रा को पीपीएम समिति द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण एवं इसके अनुमोदन की वास्तविक प्रक्रिया नीचे दर्शाई गई है।

4 समिति के सदस्य एसई (एमएम), एसई (प्रापण), सीएओ (डब्ल्यूएम एण्ड एफएम), सीई (एमएम), एसई (प्लान) एवं सीई (जयपुर जोन)।



डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये थे (फरवरी 2014)। निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपखण्डीय स्तर पर सामग्री की कार्यानुसार एवं माहवार आवश्यकता के निर्धारण के बारे में बताया गया था। उपखण्डीय आवश्यकता का वृत्त स्तर पर संकलन एवं समीक्षा की जानी है। वृत्तानुसार आवश्यकता को आगे जोनल सीई (जयपुर जोन) द्वारा संकलित किया जाना था एवं पीपीएम समिति को सूचित किया जाना था। सम्पूर्ण सामग्री निर्धारण आवश्यकता पर आधारित एवं उपलब्ध बजट द्वारा चालित होना चाहिए था।

चयनित एसीओएस पर अभिलेखों की समीक्षा एवं चयनित एसीओएस के अधीन 21⁵ उपखण्डीय स्टोर्स पर नमूना जांच द्वारा उजागर हुआ कि सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण के लिए निर्धारित क्रियाविधि का अनुसरण नहीं किया गया था। वृत्त कार्यालयों एवं उपखण्डों द्वारा जोनल सीई को भेजी गई कार्यानुसार/ उपखण्डानुसार सामग्री की आवश्यकता के संबंध में कोई प्रलेख नहीं रखे गये थे। कार्यानुसार/ उपखण्डानुसार सामग्री की आवश्यकता निर्धारण शीट/ प्रलेखों के अभाव में, हम यह सुनिश्चित नहीं कर सके;

- उपखण्डानुसार संचालन एवं रखरखाव कार्यों के लिए जोनल सीई द्वारा निर्धारित की गई सामग्री की आवश्यकता की पर्याप्तता एवं
- क्या संचालन एवं रखरखाव कार्य/ वितरण नेटवर्क में आवर्धन की सामग्री की कमी के कारण बाधित हुई थी।

5 (i) भांकरोटा (ii) जयपुर डी-III (iii) शाहपुरा (iv) चोमू ए1 (v) सांभर (vi) दूदू (vii) थानागाजी (viii) कोटपुतली (ix) चाकसू (x) बरसी (xi) भिवाड़ी (xii) राजगढ़ (xiii) नीमराणा (xiv) बानसूर (xv) मालाखेड़ा (xvi) लक्ष्मणगढ़ (xvii) कोटकासिम (xviii) अलवर ए-II (xix) कोटा ग्रामीण (xx) इटावा एवं (xxi) चैचट।

हमने देखा कि डिपोजिट कार्यों, 11 केवी एवं निम्न तनाव के लिए नये कार्यों एवं आवर्धन कार्यों, मरम्मत एवं रखरखाव, केबल नेटवर्क, एवं शहर केन्द्रित कार्यक्रम के लिए अन्य विविध कार्यों के लिए कुल 261 मदों में से 229 मदों के संबंध में वर्ष 2013-14 के लिए जोनल सीई (जयपुर जोन) द्वारा सूचित की गई मात्राएं पिछले वर्ष किये गये कार्यों के समान थीं। इसी प्रकार 253 मदों में से 211 के संबंध में वर्ष 2015-16 के लिए इन्हीं कार्यों के लिए सूचित की गई मात्राएं वर्ष 2014-15 के समान थीं।

यह दर्शाता है कि फिल्ड कार्यालयों से सामग्री की आवश्यकता प्राप्त नहीं हुई थी एवं वर्तमान में चल रहे कार्यों के लिए सामग्री की वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान दिये बिना चालू वर्ष के लिए सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण पिछले वर्ष के आधार पर किया गया था।

इस प्रकार, जोनल सीई की आवश्यकताओं के आधार पर ही सीई (एमएम) द्वारा निविदा की गई सामग्री तदर्थ आधार पर थी एवं इसलिए फिल्ड कार्यालयों की वास्तविक आवश्यकता की सूचक नहीं थी। साथ ही, यह देखा जा सकता है कि कम्पनी ने पीपीएम समिति द्वारा सामग्री की आवश्यकता निर्धारण तय करने से पूर्व ही निविदाएं आमंत्रित कर ली थीं।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि निविदाओं को जारी करने में होने वाली देरी को टालने के लिए भूतकाल के उपभोग पैटर्न के अनुसार पीपीएम समिति द्वारा सामग्री आवश्यकता का अनुमोदन किया गया। आगे यह बताया गया कि डिस्कॉम्स के अध्यक्ष के दिशानिर्देशानुसार विस्तृत आवश्यकता को प्राप्त किया जा रहा था एवं वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए सामग्री की आवश्यकता का समय पर निर्धारण करने के लिए प्रक्रियागत किया जा रहा था।

सामग्री की आवश्यकता का अनुपयुक्त अनुमोदन

2.11.1 क्रय मैनुअल में निर्धारित क्रियाविधि एवं डिस्कॉम्स अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये (फरवरी 2014) आदेशों के अनुसार वास्तविक आवश्यकताओं को अनुमोदित करने के स्थान पर पीपीएम समिति द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान की गई निविदाओं की मात्राओं का अनुमोदन किया। इससे 2015-16 के दौरान ₹ 70.13 करोड़ मूल्य वाली आठ⁶ मदों की 6.20 लाख इकाइयों के आवश्यकता से अधिक क्रय के अनुमोदन को बढ़ावा मिला। जोनल मुख्य अभियंता द्वारा स्टोर्स में इन मदों की अधिक उपलब्धता (2.40 लाख इकाइयों) को इंगित किया जा चुका था। साथ ही, 2016-17 के दौरान, इस तथ्य के उपरांत कि इन मदों की वास्तविक आवश्यकता शून्य थी पीपीएम समिति द्वारा ₹ 138.17 करोड़ मूल्य वाली नौ⁷

6 11 केवी की जीआई पिनस (3,26,437 इकाइयों); जीआई पिन एलटी (2,79,261 इकाइयों); 11 केवी सीटी/ पीटी 200/5 (1,824 इकाइयों); 11 केवी सीटी/ पीटी 50/5 (500 इकाइयों); 11 केवी सीटी/ पीटी 15/5 (1,000 इकाइयों); 12 केवी ओ/डी वीसीबी कियोस्क (2,000 इकाइयों); एलटी वितरण बॉक्स यू/ जी केबल 100 एम्पीयर (3,000 इकाइयों); सर्ज अरेस्टर्स 11 केवी एसटी टाइप (6,000 इकाइयों)।

7 चार कोर एलटी केबल 185 वर्ग मीमी (200 किमी), चार कोर एलटी केबल 120 वर्ग मीमी (100 किमी), चार कोर एलटी केबल 95 वर्ग मीमी (100 किमी), कंट्रोल केबल 4 सी गुणा 4 वर्गमीटर (25 किमी), कंट्रोल केबल 6 सी गुणा 4 वर्गमीटर (25 किमी), स्पेशल मीटर्स एचटी टीवीएम (3,780 इकाइयों), एलटी टीवीएम मीटर्स (4,270 इकाइयों), 11/ 0.4 केवी डीटीज (29,385 इकाइयों) एवं शेफ्टी शूज (14,535 इकाइयों)।

मदों की 0.52 लाख इकाइयों की आवश्यकता का अनुमोदन किया गया। इसने अधिक सामग्री के क्रय को बढ़ावा दिया जिसकी चर्चा **अनुबंध 5** के क्रम संख्या 3 में की गई।

सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया कि पीपीएम समिति द्वारा आवश्यकता से अधिक मात्राओं का अनुमोदन किया गया लेकिन बाद में कुछ मदों को क्रय नहीं किया गया था अथवा इनकी एनआईटी को निरस्त कर दिया गया था।

2.11.2 स्टोर्स मैनुअल के अनुसार आपात स्थितियों से निपटने के लिए एवं सामग्री की सुपुर्दगी में देरी के विरुद्ध सुरक्षा के लिए बफर सामग्री रखी जाती है। साथ ही क्रय मैनुअल में प्रावधान था कि आवश्यकता के अनुमोदन के समय सामान्य प्रापण पर आधारित आगामी वर्ष के लिए आंशिक मात्रा एवं आपूर्ति के लिए लीड समय को जोड़ा जाना चाहिए। कम्पनी शेष बचे हुए कार्यों के लिए 15 प्रतिशत मात्रा एवं अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के लिए 25 प्रतिशत मात्रा सामान्यतः जोड़ रही थी। हमने देखा कि:

- पीपीएम समिति द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए आवश्यकता का निर्धारण करते समय 39 मदों के संबंध में शेष बचे हुए कार्यों के लिए 15 प्रतिशत एवं अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के लिए 25 प्रतिशत मात्राओं को नहीं जोड़ा गया था।
- वर्ष 2014-15 के दौरान, पीपीएम समिति द्वारा 166 मदों के संबंध में अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के लिए 25 प्रतिशत मात्रा को नहीं जोड़ा गया था। साथ ही, चार मदों के संबंध में शेष बचे हुए कार्यों एवं अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के लिए कोई मात्रा नहीं जोड़ी गई थी।

इस प्रकार, पीपीएम समिति द्वारा सामग्री की आवश्यकता निर्धारण का अनुमोदन करने में एकरूपता नहीं थी। साथ ही, इन मदों के संबंध में बचे हुए कार्यों एवं आगामी वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए मात्राओं को नहीं जोड़ने के लिए कोई कारण अभिलेखित नहीं थे।

सरकार द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान, कम्पनी द्वारा आवश्यकता का निर्धारण मई 2014 में किया गया था एवं इसलिए यह वास्तविक/ यथार्थवादी आधार पर आधारित थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा किया गया आवश्यकता निर्धारण के अनुसार स्टोर्स में इन मदों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं थी। सरकार /कम्पनी द्वारा 2013-14 के दौरान निर्धारण के बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया।

सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण

2.11.3 वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान पीपीएम समिति द्वारा निर्धारित की गई सामग्री की आवश्यकता एवं मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा की गई वास्तविक स्वरीद

निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीपीएम समिति द्वारा अनुमोदित सामग्री की आवश्यकता	वास्तविक क्रय	अनुमोदित आवश्यकता के विरुद्ध अधिक/ (कम) क्रय
2012-13	1132.53	1 जून 2012	980.85 (151.68)
2013-14	1366.20	13 जुलाई 2013	1077.12 (289.08)
2014-15	972.72	6 अगस्त 2014	852.50 (120.22)
2015-16	1060.32	9 जून 2015	884.57 (175.75)
2016-17	878.02	1 जून 2016	824.45 (53.57)

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान पीपीएम समिति द्वारा वित्तीय वर्ष शुरू होने से पूर्व कभी भी सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण क्रय मैनुअल के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया था। सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण वित्तीय वर्ष शुरू होने के 62 से 128 दिनों के बाद किया गया था। वास्तविक खरीद अनुमोदित आवश्यकताओं से कम थी।

सरकार द्वारा बताया गया कि पीपीएम समिति द्वारा आवश्यकता के निर्धारण में देरी सामग्री के प्रापण एवं जारी करने की सार्वकालिक प्रक्रिया के कारण थी। इसलिए, आवश्यकता का निर्धारण एक समय विशेष पर नहीं किया जा सका क्योंकि आपूर्तियां लगातार की जा रही थी। आगे यह बताया गया कि एक जनोपयोगी सेवा होने के नाते, आवश्यकताओं का निर्धारण सरकार द्वारा समर्थित योजनाओं एवं स्थानीय स्वशासन की अन्य अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। तथ्य यही रहा कि कम्पनी क्रय मैनुअल के अनुसार सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण करने का एक तंत्र विकसित नहीं कर सकी।

अभिलेखों की हमारी संवीक्षा द्वारा सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण में कमियों को इंगित करने वाले दो दृष्टान्त उजागर किये गये जिसकी चर्चा नीचे की गई:

वास्तविक आवश्यकता को निर्धारित किये बिना केबल का प्रापण

2.11.4 कम्पनी द्वारा आरमर्ड पावर केबल⁸ की आवश्यकता का निर्धारण एवं किया गया क्रय निम्नानुसार था।

विवरण	निर्धारण/ अन्तिमीकरण/आदेश दिया गया	आपूर्तियां प्राप्त की गई
मुख्य अभियंता (ओएण्डएम), जयपुर जोन द्वारा सूचित की गई (दिसम्बर 2013) आवश्यकता एवं आर-एपीडीआरपी ⁹ कार्यों पर आधारित 2014-15 वर्ष के लिए मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा केबल की आवश्यकता का निर्धारण किया गया।	750 किमी	
पीपीएम समिति द्वारा आवश्यकता का अंतिम निर्धारण (अगस्त 2014)	187 किमी	
कम्पनी द्वारा टीएन 4493 के अधीन दिये गये (जुलाई 2015) क्रयादेश एवं प्राप्त की गई आपूर्तियां	395 किमी	355.98 किमी
कम्पनी ने एक नई निविदा (टीएन 4522) खोली (अगस्त 2015) एवं क्रयादेश दिया (नवम्बर 2015) एवं आपूर्तियां प्राप्त की (मई 2016)।	350 किमी	88.05 किमी

8 11 केवी, 3 सी गुणा 120 एक्सएलपीई आरमर्ड पावर केबल

9 रि-स्ट्रक्चर्ड एक्सिलरेटेड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफॉर्मस प्रोग्राम।

हमने देखा कि वर्ष 2016-17 के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता (20 अप्रैल 2016 तक 248.32 किमी) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा टीएन 4493 एवं टीएन 4522 के विरुद्ध लम्बित आपूर्तियों को स्थगित कर दिया गया (मई 2016)।

हमने देखा कि:

- आवश्यकता का निर्धारण यथार्थवादी नहीं था क्योंकि पीपीएम समिति द्वारा केवल 187 किमी केबल की आवश्यकता का निर्धारण किया गया जबकि मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए 750 किमी की आवश्यकता का निर्धारण किया गया। साथ ही, आवश्यकता एवं प्रापण के बीच कोई संबंध नहीं था क्योंकि निविदाएं 395 किमी के लिए बिना किसी आधार के आमंत्रित की गई थी। कम्पनी द्वारा टीएन 4493 की सुपुर्दगी अनुसूची को भी पूर्व में स्पिसका दिया एवं बिना किसी आवश्यकता के एक नई निविदा (टीएन 4522) के अधीन क्रयादेश दिये गये।
- 31 मार्च 2017 को कम्पनी के पास 170.62 किमी सामग्री उपलब्ध थी जो कि अगले 14 महिनों (2015-16 के उपभोग पैटर्न के आधार पर 11.86 किमी प्रति माह) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त थी।
- कम्पनी द्वारा बिना किसी आवश्यकता के सामग्री का ढेर लगाया गया क्योंकि 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रय की गई 444.02 किमी केबल में से मार्च 2017 तक केवल 273.40 किमी केबल ही उपयोग में लाई जा सकी।

बिना आवश्यकता के केबल के क्रय के परिणामतः गुणवत्ता में गिरावट होने एवं गारण्टी अवधि जो आपूर्ति की तिथि से 18 माह थी के समाप्त होने के अतिरिक्त 170.62 किमी केबल के विरुद्ध ₹ 9.15 करोड़ के कोष अवरुद्ध हुए।

सरकार ने बताया कि उपभोग पैटर्न, उपलब्ध सामग्री एवं निरीक्षणाधीन मात्रा को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति की शेष मात्रा को स्थगित किया गया था। साथ ही, इस मद के लिए बाद में एनआईटी जारी नहीं की गई थी। तथ्य यही रहा कि आवश्यकता के अयथार्थवादी निर्धारण के कारण कम्पनी द्वारा केबल का ढेर लगा दिया गया। साथ ही, आगामी निविदात्मक मात्राओं के निरस्तीकरण के बाद भी सामग्री अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

सामग्री के शेषों को ध्यान में नहीं रखने के कारण आवश्यकता का अनुचित निर्धारण

2.11.5 कम्पनी द्वारा 33 केवी एचटी एक्सएलपीई 3 सी गुणा 300 एसक्यूएम का क्रय किया गया जो निम्न थी:

टीएन 4267 (फरवरी 2011 से जून 2011)	345 किमी
टीएन 4375 (फरवरी 2013 से मार्च 2014)	276 किमी
टीएन 4400 (दिसम्बर 2013)	67.11 किमी

कम्पनी द्वारा केबल के स्टॉक की पर्याप्त स्थिति को देखते हुए टीएन 4400 के अधीन 223.89 किमी केबल की आपूर्ति को स्थगित कर दिया गया (मार्च 2014)। अधीक्षण अभियंता (क्रय) द्वारा सीएलपीसी को बताया (सितम्बर 2015) कि 2014-15 के दौरान केबल का उपभोग केवल 19.13 किमी था एवं विभिन्न स्टोर्स में 105 किमी का अन्तिम शेष था जो दो वर्ष से

अधिक के लिए पर्याप्त था। तदनुसार, सीएलपीसी द्वारा स्थगित आपूर्तियों को निरस्त कर दिया गया (सितम्बर 2015)।

हमने देखा कि :

- सामग्री के शेषों (फिल्ड कार्यालयों को आपूर्ति की गई सामग्री) को ध्यान में नहीं रखने के कारण कम्पनी द्वारा केबल की आवश्यकता का अनुमान अधिक लगाया गया जिसके परिणामतः टीएन 4375 एवं टीएन 4400 के अधीन सामग्री का अधिक क्रय किया गया। मार्च 2017 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान एसीओएस के पास केबल के अन्तिम शेष 12.15, 109.95, 105.94, 70.17 एवं 2.34 किमी थे।
- उपस्वण्डीय भण्डारों को जारी की गई सामग्री भी उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाई गई थी। यहां तक कि दो वृत्तों (कोटा एवं जयपुर शहर वृत्त) के नौ उपस्वण्डों के पास 2012-13 एवं 2015-16 के दौरान सामग्री का शेष 73.46 किमी एवं 99.26 किमी के मध्य था।

इस प्रकार, सामग्री की आवश्यकता के अनुचित निर्धारण के द्वारा 2012-14 के दौरान अधिक क्रय को बढ़ावा दिया गया जिसके कारण ₹ 6.83 करोड़ के कोष अवरुद्ध हुए एवं अप्रयुक्त केबल की गुणवत्ता में गिरावट आने की संभावना थी। सामग्री अगले चार वर्षों के लिए आवश्यकता को पूरा करेगी। केबल की गारण्टी अवधि भी समाप्त हो गई थी क्योंकि यह आपूर्ति की तिथि से 18 माह थी।

निकासी सभा के दौरान सरकार/ कम्पनी द्वारा बताया गया कि कम्प्यूटरीकरण के अभाव में ऐसे दृष्टान्त अपरिहार्य थे। सरकार ने ऐसी कमियों से निपटने के लिए उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) को क्रियान्वित करने पर जोर दिया एवं सूचित किया कि ईआरपी को 2017-18 के अंत तक लागू कर दिया जायेगा।

निविदाओं का निर्धारण

2.12 चयनित 40 निविदाओं में से 29 निविदाओं में उनको अन्तिम रूप दिये जाने में देरी थी एवं नौ मामलों में कम्पनी द्वारा प्रति प्रस्ताव की निर्धारित क्रियाविधि की अनुपालना नहीं की गई जैसा कि विवरणानुसार नीचे दिया गया:

निविदाओं को अन्तिम रूप दिये जाने में देरी

2.12.1 क्रय मैनुअल के वाक्यांश 22.8 में क्रय के मामलों को अन्तिम रूप दिये जाने के लिए निविदाओं को खोलने की तिथि से आशय-पत्र/ क्रयादेश जारी करने तक अधिकतम 120 दिनों की समयावधि का प्रावधान था। फर्म की योग्यता निर्धारण करने के लिए कार्यस्थल निरीक्षण एवं मीटर एवं प्रोटेक्शन विंग द्वारा नमूना जांच की आवश्यकता वाले मामलों में 20 दिनों की अतिरिक्त समयावधि अनुमत्त की जा सकती थी। यदि किसी निविदा को निर्धारित समयावधि में संबंधित प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप नहीं दिया जाता है तो इसको अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कराया जायेगा। संबंधित प्राधिकारी द्वारा अगले उच्चतर प्राधिकारी को निविदा की सिफारिश करते समय निर्दिष्ट समयावधि में निविदा को अन्तिम रूप नहीं दिये जाने के लिए कारणों को दर्शाना होता है।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 40 में एक निविदा को अंतिम रूप दिये जाने के लिए अधिकतम 70 दिनों की समयावधि का प्रावधान है। नियम में आगे प्रावधान है कि निर्दिष्ट समयावधि में निविदाओं को अंतिम रूप देने में असफल रहे जिम्मेदार प्राधिकारी के मामले में निर्णय के लिए निविदाओं को अगले उच्चतर प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

चयनित 40 निविदा मामलों की समीक्षा में उजागर हुआ कि कम्पनी द्वारा 29 निविदाओं को 120 दिनों की निर्दिष्ट समयावधि से अधिक समय में अंतिम रूप दिया गया। निविदाओं को अंतिम रूप दिये जाने में देरी की अवधि 4 दिनों एवं 589 दिनों के मध्य थी। साथ ही, अगले उच्चतर प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना इन निविदाओं को अंतिम रूप देते समय संबंधित प्राधिकारी द्वारा क्रय मैन्युअल एवं आरटीपीपी नियमों का उल्लंघन किया गया। मीटर्स के क्रय के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिये जाने में देरी के दो मामलों के कारण पुनः क्रयादेशों अथवा मूल्य गिरावट वाक्यांशों को लागू नहीं करने के कारण कम्पनी पर ₹ 2.14 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा जिसकी चर्चा नीचे की गई।

विवरण	मामला 1: टीएन 2149	मामला 2: टीएन 2158
निविदाएं खोली गईं	नवम्बर 2011	जून 2012
सफल निविदादाताओं के मीटर्स के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गये	दिसम्बर 2011 ¹⁰	अगस्त 2012 ¹¹
जांच रिपोर्ट्स प्राप्त हुईं	जुलाई एवं अक्टूबर 2012	अप्रैल 2013
नमूने भेजने एवं जांच रिपोर्ट्स की प्राप्ति में समयांतराल	7 एवं 10 माह	8 माह
मूल्य निविदा खोली गईं	फरवरी 2013	दिसम्बर 2013
क्रयादेश जारी करना	फरवरी 2013	मई 2014
निविदा को खोलने एवं क्रयादेश जारी करने के मध्य समयांतराल	14 माह	22 माह

हमने देखा कि नई निविदाओं के अधीन दरें वर्तमान में चल रही निविदाओं (क्रमशः टीएन 2097 एवं टीएन 2151) से कम थी। निविदाओं को अन्तिम रूप दिये जाने में देरी के परिणामतः

- **मामला 1:** कम्पनी द्वारा पिछली निविदा (टीएन 2097) के अंतर्गत 15,714 मीटर्स के लिए एक अतिरिक्त क्रयादेश जारी किया जाना था (मई 2012) जिसके कारण ₹ 1.21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सरकार द्वारा बताया गया कि मीटर्स की जांच का पता लगाने के लिए कम्पनी द्वारा लगातार प्रयास किया गया था एवं कम्पनी की तरफ से इसमें कोई देरी नहीं थी।

- **मामला 2:** कम्पनी मूल्य में गिरावट वाले वाक्यांश को लागू नहीं कर सकी एवं वर्तमान में जारी निविदा (टीएन 2151) के अधीन प्राप्त की गई आपूर्तियों को स्वीकार करना

10 इलेक्ट्रीकल रिसर्च एण्ड डवलपमेंट एसोसिएशन, वड़ोदरा।

11 सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलुरु।

पड़ा जिसके कारण ₹ 93.44 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में जारी निविदा एवं नई निविदा के अधीन आपूर्तिकर्ता एक समान थे।

सरकार द्वारा बताया गया कि सामग्री की उपलब्धता की दृष्टि से उच्चतर प्राधिकारियों के आदेशानुसार प्रक्रिया को रोक कर रखा गया था। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि कम्पनी मूल्य निविदाओं को खोलने के बाद आपूर्तियों को स्थगित कर सकती थी।

प्रति प्रस्ताव की निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना नहीं करना

2.12.2 कम्पनी द्वारा क्रय मैन्युअल में निर्धारित की गई मोलभाव एवं निविदादाताओं को प्रति प्रस्ताव देने की क्रियाविधि को संशोधित किया गया (अप्रैल 2012)। संशोधित प्रक्रिया में बताया गया था कि सक्षम प्राधिकारी एल-1 के साथ मोलभाव एवं संभव सीमा तक मूल्य में कमी की मांग कर सकता है। एल-1 फर्म का प्रस्ताव तब तक अनुमोदित नहीं किया जायेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि एल-1 फर्म द्वारा दिये गये मूल्य अनुमानित दरों से अधिक नहीं है तथा इन अनुमानित दरों की गणना वर्तमान में चल रहे कार्यों/ वर्तमान में डाली गई निविदाओं, वर्तमान में चल रहे राज्य के अन्य डिस्कॉम्स द्वारा दिये गये अनुबंधों, इत्यादि के अद्यतन मूल्यों के आधार पर की गई थी। निम्नतम निविदादाता द्वारा मोलभाव के बाद भी दरों में की गई कमी के असंतोषजनक पाये जाने के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी अन्य योग्य निविदादाताओं को दरों का प्रति प्रस्ताव दे सकता था।

हमने देखा कि कुल 40 चयनित निविदाओं में से नौ¹² निविदाओं में निम्नतम निविदादाता द्वारा प्रति प्रस्ताव को स्वारिज करने के बाद कम्पनी द्वारा अन्य योग्य निविदादाताओं को अनुमानित दरों पर प्रति प्रस्ताव नहीं दिये गये। कम्पनी द्वारा अन्य योग्य निविदादाताओं को अनुमानित दरों पर क्रयादेश जारी करने की संभावनाओं को तलाशने के स्थान पर निम्नतम निविदादाताओं को उच्चतर मूल्यों पर प्रस्ताव दिया गया। निम्नतम निविदादाताओं द्वारा स्वीकार किये गये उच्चतर मूल्यों पर तब अन्य निविदादाताओं को प्रस्ताव दिया गया।

निर्धारित की गई मोलभाव एवं प्रति प्रस्ताव देने की प्रक्रिया का अनुपालन करके निविदाओं को प्रदान करके कम्पनी द्वारा ₹ 9.61 करोड़ (अनुबंध-3) तक की धनराशि बचाई जा सकती थी।

निकासी सभा के दौरान प्रबंधन ने बताया कि कम्पनी को एक उचित दर पर प्रति प्रस्ताव देने पड़े अन्यथा यह निविदा प्रक्रिया के निरस्तीकरण के जोखिम में पड़ जाती क्योंकि कम्पनी केवल एक बार ही प्रति प्रस्ताव दे सकती थी। तथापि, सरकार ने सुझाया कि कम्पनी द्वारा अपने अनुमानित मूल्यों का प्रति प्रस्ताव सभी निविदादाताओं को दिया जाना चाहिए।

सामग्री के प्रापण में कुशलता एवं प्रभावशीलता

विशिष्ट विवरणों की पुष्टि नहीं करने वाली सामग्री का प्रापण

2.13 तकनीकी समिति वर्तमान वितरण नेटवर्क के लिए उपयुक्त सामग्री के तकनीकी मानक / विशिष्ट विवरणों को अन्तिम रूप देती है। सामग्री के विभिन्न प्रकार के विशिष्ट विवरणों को निविदा प्रपत्रों एवं क्रयादेशों में सम्मिलित किया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यह सुनिश्चित

12 टीएन संख्या 2181, 4364, 2169, 4377, 2163, 2218, 2180, 2176 एवं 4407

किया जाना आवश्यक था कि सामग्री निर्धारित विशिष्ट विवरणों की पुष्टि करने वाली थी। साथ ही, कम्पनी द्वारा भी सामग्री के निरीक्षण एवं जांच के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था कि आपूर्तित सामग्री निर्धारित विशिष्ट विवरणों की पुष्टि करने वाली थी।

अभिलेखों की विस्तृत संविक्षा के लिए चयनित 40 निविदाओं में से छह में निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री अथवा निर्धारित विशिष्ट विवरणों की पुष्टि नहीं करने वाली सामग्री के प्रापण को देखा गया। इन मामलों द्वारा ₹ 83.80 करोड़ मूल्य की घटिया सामग्री के क्रय को उजागर किया गया जिसकी चर्चा नीचे की गई:

दोषपूर्ण श्री फेज मीटर्स की आपूर्ति

2.13.1 ऑप्टिकल पोर्ट कम्प्यूनिकेशन सुविधा वाले मीटर बॉक्स के साथ ₹ 2,565 प्रति मीटर की दर पर तीन फेज¹³ वाले 19,660 एनर्जी मीटर्स की आपूर्ति के लिए कम्पनी द्वारा जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को क्रयादेश (टीएन 2156) जारी किया गया (मार्च 2013)। ऑप्टिकल पोर्ट एवं निम्न पावर रेडियो कम्प्यूनिकेशन सुविधा के साथ ₹ 2,990 प्रति मीटर की दर पर तीन फेज¹⁴ वाले 80,000 मीटर्स की आपूर्ति के लिए जीनस इनोवेशन लिमिटेड को टीएन 2157 के अधीन एक अन्य क्रयादेश भी जारी किया गया (मार्च 2013)। क्रयादेशों के वाक्यांश 19 में प्रावधान था कि कम्पनी अथवा मीटर जांच प्रयोगशाला द्वारा दोषपूर्ण घोषित किये गये मीटर्स को कम्पनी की पूर्ण संतुष्टि तक आपूर्तिकर्ता द्वारा सूचित किये जाने के 45 दिनों में बदल दिया जायेगा।

दोनों निविदाओं के नियम एवं शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आईएस: 13779-1999/ संबंधित आईईसी मानक (नवीनतम संशोधनों सहित) के अनुसार सभी परीक्षणों के लिए टाइप परीक्षण प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना आवश्यक था। टाइप परीक्षणों / अतिरिक्त टाइप परीक्षण प्रमाणपत्र राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला/ इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला/ सीपीआरआई (विशेष उपकरण/ परीक्षण के लिए एनएबीएल प्रमाणित) मानक प्रयोगशालाओं में से किसी एक द्वारा जारी किये जाने थे।

निविदा स्टेज पर एवं आपूर्तियों के शुरु होने से पूर्व आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किये गये मीटर्स को निर्दिष्ट परीक्षणों को पास करना आवश्यक था। सम्पूर्ण आपूर्तियों को केवल शुरुआती नमूनों के अनुमोदन के बाद ही स्वीकार किया जाना था। साथ ही, प्रत्येक समूह/उप-समूह से लिये गये नमूने कम्पनी की केन्द्रिय परीक्षण प्रयोगशाला पर किये जाने वाले परीक्षणों के भिन्न-भिन्न प्रकारों के अधीन थे।

हमने देखा कि दोनों फर्मों द्वारा आपूर्ति किये गये मीटर्स ने निविदा की भिन्न-भिन्न स्टेजों पर निर्धारित परीक्षण पास किये गये थे एवं तदनुसार कम्पनी द्वारा मीटर्स की निविदात्मक आपूर्तियों को स्वीकार किया गया था। फिल्ड कार्यालयों द्वारा भी उपभोक्ताओं के परिसर पर मीटर्स संस्थापित कर दिये गये थे। तथापि, दोनों फर्मों द्वारा आपूर्ति किये गये मीटर्स में विद्युत के

13 ऑप्टिकल पोर्ट कम्प्यूनिकेशन सुविधा वाले मीटर बॉक्स के साथ बैकलिट एलसीडी डिसप्ले के साथ एसी स्टेटिक श्री फेज चार वायर 10-60 एम्पियर रेटिंग होल करंट क्लास 1.0 एक्यूरेसी केडब्ल्यूएच एनर्जी मीटर्स।

14 ऑप्टिकल पोर्ट एवं निम्न पावर रेडियो कम्प्यूनिकेशन सुविधा के साथ बिना मीटर बॉक्स के पॉली कार्बोनेट मीटर केस के साथ बैकलिट एलसीडी डिसप्ले के साथ श्री फेज चार वायर 10-60 एम्पियर रेटिंग।

उपभोग के पठन के संबंध में फिल्ड कार्यालयों द्वारा कुछ अजीब कमियां देखी गई (फरवरी 2016)। यह देखा गया कि मीटर पठन के एक निश्चित बिंदु पर मीटर्स खराब हो गये थे एवं जब विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आया तब मीटर्स स्वतः ही पठन के उस बिंदु से उल्टे घूमने लगे जिस बिंदु पर खराब हो गये थे। इस प्रकार, विद्युत आपूर्ति बंद होने पर मीटर पठन के निश्चित बिंदु के बाद मीटर का मेमोरी रजिस्टर विद्युत के उपभोग को दर्ज करने में विफल हुआ। तथापि, विद्युत की निरन्तर आपूर्ति के मामले में मीटर्स का व्यवहार सामान्य था एवं सत्यता निर्धारित सीमाओं में पाई गई थी।

कम्पनी द्वारा मामले की जांच की गई (मई 2016) एवं मीटर्स के विचित्र व्यवहार की पुष्टि की। इस प्रकार, अधीक्षण अभियंता (मीटर एवं सुरक्षा) द्वारा सिफारिश की गई कि फर्मों द्वारा आपूर्तित सभी मीटर्स को बदला जाना चाहिए क्योंकि मीटर्स के विचित्र व्यवहार के कारण कम्पनी को वित्तीय हानि हो सकती थी। प्रबंध निदेशक द्वारा भी सभी मीटर्स को बदलने के लिए आदेशित किया गया था (जुलाई 2016) यदि यह दोष सिद्ध हो गया था एवं फर्म द्वारा स्वीकार किया गया था। कम्पनी की विधि विंग द्वारा भी सुझाया गया (जुलाई 2016) कि मीटर एवं सुरक्षा (एमएण्डपी) विंग द्वारा परीक्षण किये गये मीटर्स के द्वारा विचित्र व्यवहार किया गया था। जैसा कि प्रत्येक मीटर की कार्यस्थल पर जांच एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी इसलिए, यह उपयुक्त होगा कि किसी राजस्व हानि से बचने के लिए टीएन 2156 एवं टीएन 2157 के अधीन आपूर्ति किये गये सभी मीटर्स को प्राथमिकता के आधार पर सर्किट से बाहर निकाल लेना चाहिए एवं फर्मों को सभी मीटर्स को बदलने के लिए आदेश दिया जाना चाहिए।

यह मामला फर्मों को सूचित किया गया (मार्च 2016) लेकिन अधीक्षण अभियंता (एमएण्डपी) एवं विधि विंग द्वारा दी गई सलाहानुसार कम्पनी द्वारा निविदाओं के अधीन क्रय किये गये मीटर्स को बदलने के लिए कोई आदेश कभी भी जारी नहीं किया गया। तथापि, प्रबंध निदेशक के स्तर पर आयोजित (जुलाई 2016) एक सभा के दौरान फर्मों द्वारा स्टोर्स में पड़े हुए केवल खराब मीटर्स को बदलने के लिए आश्वासन दिया गया था।

मार्च 2017 तक, जीनस इनोवेशन लिमिटेड एवं जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा आपूर्ति किये गये कुल 99,660 मीटर्स के विरुद्ध केवल 5,000 मीटर्स बदले जा चुके थे (सितम्बर 2016)।

यह दर्शाता है कि जांच प्रक्रियाएँ, निर्धारित विशिष्ट विवरणों के अनुसार मीटर्स की शुद्धता को सुनिश्चित करने में विफल रही क्योंकि खराब मीटर्स को भिन्न-भिन्न समयांतरालों पर किये गये सभी प्रकार के परीक्षणों को पास करना बताया गया था। साथ ही, मीटर्स में विचित्र प्रकार के दोष सिद्ध होने के बाद भी कम्पनी सभी मीटर्स को बदलने को सुनिश्चित करने में विफल रही। कम्पनी द्वारा ₹ 28.96 करोड़ की लागत पर क्रय किये गये दोषपूर्ण मीटर्स को नहीं हटाया गया था एवं उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई विद्युत के पठन को दर्ज नहीं करने के कारण हानि वहन कर रही थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारियों की सभा में लिये गये निर्णयानुसार (30 मई 2017) सभी अधीक्षण अभियंताओं (ओएण्डएम) को टीएन 2156 एवं टीएन 2157 के अधीन आपूर्ति किये गये सभी श्री फेज मीटर्स बदलने को सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया जा चुका था।

अप्रचलित तकनीक वाले मीटर्स का क्रय

2.13.2 राज्य सरकार के वित्तीय पुनर्संरचना कार्यक्रम, 2012 (एफआरपी) के अनुसार कम्पनी द्वारा मार्च 2013 तक सभी दोषी उपभोक्ताओं (सरकारी एवं पीएचईडी¹⁵ जैसे वृहत उपभोक्ता) के लिए प्रीपेड मीटर्स स्थापित करने आवश्यक थे।

कम्पनी द्वारा निविदा आमंत्रित की गई (अप्रैल 2012) जिसमें एचपीएल एल-1 निविदादाता थी एवं इसने दोनों (10-60 एवं 20-80 एम्पीयर) प्रकार की रेटिंग के एक समान मीटर्स का प्रस्ताव दिया। इसने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित किये गये मीटर्स कम्पनी की आवश्यकताओं के अनुसार दोनों प्रकार की रेटिंग के मानदण्ड पूरे करते थे। सीएलपीसी द्वारा ₹ 6,765 प्रति मीटर के मोलभाव मूल्य पर 42,000 मीटर्स के लिए एचपीएल (निम्नतम निविदादाता) पर क्रयादेश जारी करने का निश्चय किया (28 अगस्त 2014)। तथापि, समान क्रय समिति के एक सदस्य द्वारा महसूस किया गया कि एचपीएल के पास अनुभव का अभाव था एवं इसलिए मामले को संचालक मण्डल के सामने रखा जाना चाहिए। तथापि, सीएलपीसी द्वारा प्रतिस्पर्धी मूल्य नहीं मिलने के आधार पर निविदा को निरस्त करने का निश्चय किया गया (12 सितम्बर 2014)। इस प्रकार, मामले को संचालक मण्डल के सामने नहीं रखा गया।

कम्पनी द्वारा प्रतिस्पर्धी मूल्यों एवं निविदाओं में वृहत भागेदारी को सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड (भूतकाल में की गई न्यूनतम आपूर्ति की मात्रा) में ढील देकर एक नई निविदा¹⁶ सोली गई (फरवरी 2015)। दोनों प्रकार (10-60 एवं 20-80 एम्पीयर) की रेटिंग्स के लिए ₹ 10,440 प्रति इकाई दर पर एचपीएल एक बार फिर एल-1 रही। एचपीएल द्वारा प्रस्तावित मीटर्स पिछली निविदा के समान थे। कम्पनी द्वारा निविदादाताओं के साथ मोलभाव किया गया (अगस्त 2015) एवं सभी तीनों निविदादाताओं को ₹ 9,500 प्रति मीटर की मोलभाव की गई दर पर 43,883¹⁷ मीटर्स की आपूर्ति के लिए क्रयादेश जारी किये गये। एचपीएल द्वारा फरवरी 2016 तक कम्पनी को 12,849 मीटर्स की आपूर्तियां कर दी थी।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा ₹ 3.51 करोड़ के अतिरिक्त व्यय पर मीटर्स क्रय किये गये क्योंकि दोनों निविदाओं में एक समान मीटर्स थे।

अभिलेखों की आगे समीक्षा से उजागर हुआ कि मीटर्स स्थापित नहीं किये जा सके क्योंकि (i) पीएचईडी कनेक्शंस सुपर ट्रांसफॉर्मरस में दिये गये थे (ii) ट्रांसफॉर्मर का बॉक्स वैलड किया हुआ था (iii) कस्टमर इंटरफेस यूनिटस लगाने के लिए आदेशों का अभाव था एवं (iv) पीएचईडी मीटर बॉक्सों में जगह कम थी। इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका एवं मई 2017 तक कुल 12,849 प्रीपेड मीटर्स में से केवल 2,366 मीटर्स ही स्थापित किये जा सके। शेष मीटर्स कम्पनी के विभिन्न स्टोर्स में पड़े हुए थे (मई 2017)।

15 जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) राज्य में पानी की आपूर्ति करता है एवं मुख्य दोषी उपभोक्ताओं में से एक है।

16 टीएन 2297

17 एचपीएल द्वारा कम्पनी को 12,849 मीटर्स आपूर्ति किये गये, सिक्थोर मीटर्स द्वारा एवीवीएनएल को 14,334 मीटर्स आपूर्ति किये गये एवं जीनस पावर द्वारा जेडीवीवीएनएल को 16,700 मीटर्स आपूर्ति किये गये।

लेखापरीक्षा संवीक्षा द्वारा उजागर किया गया कि प्रीपेड मीटर्स पीएचईडी पर स्थापित किये गये थे एवं मीटर्स को रिचार्ज कराने के लिए 30 दिनों की अनुग्रहावधि प्रदान की गई थी। यद्यपि, मीटर्स में रिचार्ज करने के लिए ऑनलाइन कम्प्यूनिकेशन फिचर नहीं था। इसके परिणामतः मूल रूप से चार्ज की गई धनराशि के उपयोग करने के बाद विद्युत आपूर्ति स्वतः ही बंद हो जाती थी। इससे पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण जनता में असंतोष पैदा हो गया।

इस मामले पर राज्य सरकार द्वारा चर्चा की गई एवं यह निश्चय किया गया (फरवरी 2016) कि प्रीपेड मीटर्स पीएचईडी पर स्थापित नहीं किये जाने चाहिए। अधीक्षण अभियंता (आईटी) को मीटर्स के सॉफ्टवेयर में उपयुक्त संशोधनों को सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया गया। कम्पनी द्वारा एचपीएल को सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने, मीटर के साथ बाहरी मॉडम को संस्थापित करने, ऑनलाइन मीटर पठन उपलब्ध कराने के लिए सर्वर को संस्थापित करने, एसएमएस सुविधा इत्यादि के लिए अनुरोध किया गया (मार्च 2016)। एचपीएल द्वारा उत्तर दिया गया (मार्च 2016) कि आवश्यक संशोधन अतिरिक्त लागत पर किये जायेंगे एवं कम्पनी को एक वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जून 2016)।

सीएलपीसी द्वारा मामले की चर्चा की गई (अगस्त 2016) एवं देखा गया कि किसी अन्य जनोपयोगी सेवा से किसी भूतकालीन उदाहरण के अभाव में एचपीएल द्वारा मांगे गये मूल्य की उपयुक्तता का पता नहीं लगाया जा सकता था। प्रीपेड मीटर्स को स्थापित करने के लिए औचित्य एवं क्रियाविधि का परीक्षण करने के लिए गठित की गई (जुलाई 2016) समिति द्वारा भी देखा गया (अगस्त 2016) कि प्रीपेड मीटर्स द्वारा वांछित परिणाम नहीं दिये गये थे एवं मीटर्स अप्रचलित तकनीक वाले थे। इस समिति द्वारा भी सुझाया गया कि लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर इन मीटर्स पर आगे निवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

सरकार द्वारा बताया गया कि नई निविदा में आपूर्ति के लिए कार्य के क्षेत्रों में मीटर्स की संस्थापना को भी सम्मिलित किया गया था जिसने नई निविदा में मीटर्स की लागत को बढ़ा दिया था। साथ ही, अस्थायी विद्युत कनेक्शनों पर प्रीपेड मीटर्स की संस्थापना का मामला विचाराधीन था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मीटर्स को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही थी एवं एफआरपी योजना 2012 के अनुसार इन मीटर्स के प्रापण के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जायेगा। उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था क्योंकि कम्पनी द्वारा एक अलग कार्यादेश के माध्यम से मीटर्स की स्थापना का कार्य प्रदान किया गया था जिसे टीएन 2297 की लागत में नहीं जोड़ा गया था। इस प्रकार, अप्रचलित तकनीक के मीटर्स के प्रापण पर ₹ 12.21 करोड़ का व्यय किया गया। साथ ही, एफआरपी 2012 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कम्पनी इन मीटर्स को स्थापित नहीं कर सकी थी (अगस्त 2017)।

अनुमोदित विशिष्ट विवरणों से हटकर रिंग मैन यूनिटस का क्रय

2.13.3 कम्पनी द्वारा स्काडा¹⁸ अनुकूलित रिंग मैन यूनिटस के क्रय के लिए निम्नानुसार क्रयादेश¹⁹ जारी किये गये (जुलाई 2015):

स्नाइडर इलेक्ट्रीक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर	दो पौंड की आरएमयूज	371	₹ 3.39 लाख प्रति इकाई
क्रोम्टन ग्रीव्ज लिमिटेड, नासिक	दो पौंड की आरएमयूज	742	₹ 3.39 लाख प्रति इकाई

आरएमयूज का क्रय इस शर्ताधीन था कि स्काडा की अनुकूलता के लिए आवश्यक संकेत कम्पनी की सूचना तकनीक (आईटी) विंग द्वारा स्काडा क्रियान्वयन एजेन्सी (डॉंगफांग इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी लिमिटेड) को सूचित किये गये विशिष्ट विवरणानुसार होने चाहिए।

स्नाइडर इलेक्ट्रीक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

हमने देखा कि आरएमयूज, संकेतों की अनुमोदित सूची में सम्मिलित 10 प्रकार के संकेतों को प्रसारित नहीं कर रहे थे। आरएमयूज द्वारा डिजिटल आगत/ निर्गत को प्रसारित नहीं किये जाने के कारण स्काडा क्रियान्वयन एजेन्सी इन संकेतों को स्काडा सिस्टम के साथ संयोजित करने एवं समनुरूप बनाने में असमर्थ थी। मामला फर्म को बताया गया (जून 2016) लेकिन फर्म द्वारा न तो दोष निवारण करने के लिए कोई कार्यवाही की गई एवं न ही कम्पनी द्वारा उठाये गये सवालों का उत्तर भी दिया। कई स्मरण पत्रों (जुलाई 2016 से सितम्बर 2016) के बाद फर्म द्वारा उत्तर दिया गया (अक्टूबर 2016) कि आरएमयूज की आपूर्ति अनुमोदित ड्राइंग एवं विशिष्ट विवरणों के अनुसार की गई थी।

कम्पनी द्वारा बिना किसी सत्यापन/ जांच एवं स्काडा क्रियान्वयन एजेन्सी से सलाह के फर्म के जवाब पर सामान्य तौर पर भरोसा किया गया। मार्च 2017 तक फर्म से क्रय किये गये आरएमयूज को स्काडा सिस्टम के साथ एकीकृत नहीं किया जा सका था।

क्रोम्टन ग्रीव्ज लिमिटेड

निरीक्षणाधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट (लोट IV के लिए जनवरी 2016) में गारन्टिड तकनीकी मानदण्डों (जीटीपी) से विचलित होने के बारे में इंगित किया गया था। विचलन था कि प्रोटेक्शन करण्ट ट्रांसफॉर्मर (सीटी) को सीधे बुशिंग पर चढ़ाने के स्थान पर एक अलग माउण्टिंग प्लेट पर स्थापित किया गया था। फर्म द्वारा उत्तर दिया गया (फरवरी 2016) कि उत्तम सुगम्यता एवं रखरखाव में सुविधा के लिए प्रोटेक्शन सीटीज को केबल बॉक्स के अंदर की ओर बैक प्लेट पर स्थापित किया गया था। फर्म द्वारा आगे बताया गया कि निविदाधीन सभी आरएमयूज की आपूर्ति समान सीटी व्यवस्था के साथ पूर्ण की जा चुकी थी। अधीक्षण अभियंता जयपुर शहर वृत्त (जेसीसी) द्वारा रिपोर्ट किया गया (फरवरी 2016) कि यह निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं था कि क्या ऐसी सीटी व्यवस्था के साथ फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये आरएमयूज स्काडा की आवश्यकता से पूरी तरह से मेल खाते थे क्योंकि आरएमयूज स्काडा पर अभी भी क्रियाशील नहीं थे। उसने यह भी बताया कि आरएमयूज की तकनीकी उपयुक्तता तकनीकी विशिष्ट विवरण समिति द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।

18 सुपरवाइजरी कंट्रोल एण्ड डाटा एक्विजिशन।

19 टीएन 2292

कम्पनी द्वारा, तथापि, इस आधार पर आपूर्तियों को स्वीकार करने का निश्चय किया गया (फरवरी 2016) कि ऐसी सीटी व्यवस्था के साथ फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये स्थापित आरएमयूज में कोई कठिनाई नहीं देखी गई थी। साथ ही, फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये आरएमयूज की सीटी व्यवस्था के अनुसार सीई (एमएम) के स्तर पर आरएमयूज के ड्राइंग के पुनरीक्षण किया गया। तथापि, फिल्ड अधिकारियों द्वारा देखा गया कि कार्य संचालन के दौरान सीटी के टूटफूट होने की संभावना को स्वारिज नहीं किया जा सकता था। आपात स्थिति के लिए प्रोटेक्शन सीटीज के 15 अतिरिक्त सेटों की आपूर्ति की शर्त के साथ कम्पनी द्वारा आरएमयूज की आपूर्तियों को स्वीकार किया गया। तथापि, तकनीकी विशिष्ट विवरण समिति द्वारा आरएमयूज की तकनीकी उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया गया था।

कम्पनी ने, इस प्रकार, स्नाइडर इलेक्ट्रीकल इंफ्रास्ट्रक्चर से तकनीकी उपयुक्तता सुनिश्चित किये बिना ₹ 12.58 करोड़ मूल्य के 371 आरएमयूज का क्रय किया जबकि इन्हें स्काडा के साथ एकीकृत नहीं किया जा सका था। साथ ही, अनुमोदित ड्राइंग्स एवं विशिष्ट विवरणों के विचलन में कम्पनी द्वारा तकनीकी विशिष्ट विवरण समिति के अनुमोदन के बिना क्रोम्टन ग्रीव्ज से ₹ 25.16 करोड़ के 742 आरएमयूज को क्रय किया गया। हमने देखा कि सीटी प्रोटेक्शन सैट की लागत (लगभग ₹ 501.59 प्रति इकाई) एवं आरएमयू की लागत (लगभग ₹ 3.39 लाख प्रति इकाई) के बीच व्यापक अंतर के मध्यनजर सीटी प्रोटेक्शन के 15 अतिरिक्त सेटों की आपूर्ति की शर्त पर आपूर्तियों को स्वीकार करने का निर्णय तर्कसंगत नहीं था।

सरकार ने बताया कि स्नाइडर इलेक्ट्रीकल इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा अधीक्षण अभियंता (आईटी) को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया (जून 2017) जिसकी जांच की जा रही थी। साथ ही, कम्पनी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे थे कि फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये आरएमयूज स्काडा सिस्टम के साथ अच्छी तरह एकीकृत की जा सके / मेल खा सके। क्रोम्टन ग्रीव्ज के संबंध में बताया कि सीटीज प्रोटेक्शन की स्थिति में किया गया परिवर्तन, तकनीकी विशिष्ट विवरण से भिन्न नहीं था एवं इस प्रकार तकनीकी विशिष्ट विवरण अनुमोदन समिति की स्वीकृति के लिए आवश्यकता अभिकल्पित नहीं थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि कम्पनी के निरीक्षणाधिकारी द्वारा स्वयं गारन्टिड तकनीकी मानदण्डों से विचलित होने के बारे में इंगित किया गया था। साथ ही, अधीक्षण अभियंता (जेसीसी) के अनुसार भी यह आवश्यक था कि आरएमयूज की तकनीकी उपयुक्तता को तकनीकी विशिष्ट विवरण समिति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। हमने देखा कि अनुमोदित गारन्टिड तकनीकी मानदण्डों से कोई भी विचलन, तकनीकी विशिष्ट विवरण अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित कराया जाना था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि फर्मों द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री तकनीकी विशिष्ट विवरणों से मेल खाती हुई थी।

निकृष्ट/दोषपूर्ण ईएचवी ग्रेड ट्रांसफॉर्मर तेल का उपयोग

2.13.4 कम्पनी द्वारा ₹ 80,441.65 प्रति किलोलीटर की दर पर 1,500 किलोलीटर (केएल) ईएचवी ग्रेड ट्रांसफॉर्मर तेल की आपूर्ति के लिए सविता ऑइल टेक्नोलॉजिज लिमिटेड, नवी मुम्बई (आपूर्तिकर्ता) के पक्ष में क्रयादेश (टीएन 2172) जारी किया (सितम्बर 2012)। क्रयादेश के वाक्यांश 11 में प्रावधान था कि निरीक्षण किये गये प्रत्येक लोट के समेकित नमूने लिये जायेंगे एवं क्रयादेश में निर्धारित गारन्टिड तकनीकी विवरणों की पूर्ण जांच

के लिए सीपीआरआई²⁰, बेंगलूरु भेजे जायेंगे। भुगतान की शर्तों में (वाक्यांश 5) में प्रावधान था कि प्रत्येक प्रेषण का 85 प्रतिशत भुगतान बिलों के विरुद्ध किया जायेगा एवं शेष 15 प्रतिशत भुगतान सीपीआरआई, बेंगलूरु से सफल टाइप टेस्ट रिपोर्ट्स के प्राप्त होने के बाद जारी किया जायेगा। समेकित नमूने के असफल हो जाने के मामले में, शेष 15 प्रतिशत भुगतान को कम्पनी द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

दिसम्बर 2012 से जुलाई 2013 के दौरान कम्पनी द्वारा छह लोटस में आपूर्तियां प्राप्त की गईं। प्रत्येक लोट से समेकित नमूने लिये गये एवं गारन्टिड तकनीकी विवरणों की पूर्ण जांच के लिए सीपीआरआई, बेंगलूरु भेजे गये। कम्पनी द्वारा भी अपनी केन्द्रिय जांच प्रयोगशाला, जयपुर (सीटीएल) पर नमूनों की जांच की गई। सीपीआरआई, बेंगलूरु से लोटानुसार रिपोर्ट्स के लम्बित रहते एवं सीटीएल से मंजूरी लेने के बाद कम्पनी द्वारा ट्रांसफॉर्मर तेल को प्रयुक्त करने के लिए फिल्ड अधिकारियों को अनुमत किया गया।

हमने देखा कि सीपीआरआई की जांच में छह समेकित नमूनों में से चार असफल हो गये एवं कम्पनी को इसकी जांच रिपोर्ट्स जुलाई 2013 एवं नवम्बर 2013 के बीच प्राप्त हुईं। तथापि, ट्रांसफॉर्मर तेल को प्रयुक्त नहीं करने के लिए फिल्ड अधिकारियों को अधीक्षण अभियंता (एमएम) द्वारा देरी से आदेश जारी किये गये (अगस्त 2014)। आपूर्तिकर्ता को भी फिल्ड कार्यालयों से अप्रयुक्त तेल को उठाने के लिए आदेशित किया गया था (अगस्त 2014)। असफल हुए लोटस में लगभग²¹ 1,000 किलोलीटर ट्रांसफॉर्मर तेल सम्मिलित था जिसमें से 750 किलोलीटर (75 प्रतिशत) तेल को आदेश प्राप्त होने तक फिल्ड कार्यालयों द्वारा प्रयुक्त कर लिया गया था। शेष 250 किलोलीटर तेल को आपूर्तिकर्ता द्वारा उठाया गया था।

यह दर्शाता है कि क्रयादेश में निर्धारित गारन्टिड तकनीकी विवरणों की उचित जांच को सुनिश्चित करने में सीटीएल, जयपुर विफल रही। साथ ही, अधीक्षण अभियंता (एमएम) द्वारा आदेशों को जारी करने में देरी से ₹ 4.89 करोड़ मूल्य के 750 किलोलीटर खराब ट्रांसफॉर्मर तेल के उपयोग को बढ़ावा दिया।

सरकार द्वारा बताया गया कि आपूर्तित ईएचवी ग्रेड ट्रांसफॉर्मर तेल की उचित गुणवत्ता एवं निर्दिष्ट मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए सीटीएल पर केवल तेल की सघनता एवं मात्रा की जांच की जा रही थी। साथ ही, एक अथवा दो टाइप टेस्टों में फेल होने के कारण तेल की गुणवत्ता में गिरावट नहीं आती है। टीएन 2172 के अन्तर्गत आपूर्तित एवं प्रयुक्त तेल की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं थी। उत्तर समहतिकारक नहीं था क्योंकि यदि तेल की गुणवत्ता निर्दिष्ट मानदण्डों में होती तो कम्पनी द्वारा आपूर्तिकर्ता को अप्रयुक्त तेल को उठाने के लिए निर्देश नहीं दिया गया होता। अधीक्षण अभियंता (एमएम) द्वारा निर्देश जारी करने में देरी के संबंध में प्रबंधन ने निकासी सभा के दौरान बताया कि रिपोर्ट्स के संबंध में एसीओएस एवं एमएम विंग के बीच कोई संवाद संबंधी अंतराल रह गया था।

20 केंद्रीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान।

21 खराब लोटस के अंतर्गत आपूर्ति 999.85 केएल थी जिसमें से 749.89 केएल ट्रांसफॉर्मर तेल फिल्ड कार्यालयों द्वारा उपयोग में ले लिया गया था।

सामग्री का अमितव्ययीपूर्ण क्रय

2.14 प्रापण प्रक्रिया के साथ सम्बद्ध अथवा सार्वजनिक कोषों से माल एवं सेवाओं के क्रय में लगे हुए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार प्राधीकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए कि सामग्री विशिष्ट विवरणों के साथ क्रय की गई है, मूल्य उचित हैं, एवं निविदादाताओं की मिलीभगत न्यूनतम है। ₹ 6.31 करोड़ की सामग्री के अमितव्ययीपूर्ण क्रय को इंगित करने वाले दृष्टांतों में चयन किये गये 40 निविदाओं में से चार निविदाओं में तीन मामले देखे गये जिनको नीचे दिया गया है।

उच्च मूल्यों पर ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति लेने के कारण अतिरिक्त व्यय

2.14.1 अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के वाक्यांश 1.60 में प्रावधान था कि मूल्य गिरावट वाक्यांश आगामी निविदा की मूल्य निविदा को खोलने की तिथि से लागू होगा। यदि सुपुर्दगी सूची समाप्त नहीं होने एवं आपूर्तिकर्ता द्वारा नई निविदा में प्राप्त निम्न दरों पर शेष मात्रा की आपूर्ति के लिए सहमत नहीं होने पर, सुपुर्दगी सूची के अनुसार आदेशित मात्रा की सीमा तक शेष मात्रा नई निविदा को खोलने के तिथि से तीन माह स्वीकार की जानी थी। साथ ही, सुपुर्दगी सूची में निर्धारित मात्रा से अधिक की आपूर्ति को नई निविदा को खोलने के तीन माह की अवधि में किसी भी परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जायेगा। मूल सुपुर्दगी सूची को समयपूर्व नहीं खिसकाया जायेगा एवं आपूर्ति नहीं की गई मात्रा के संबंध में पुराने क्रयादेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

कम्पनी ने मीटरबॉक्स के साथ 25 केवीए (एल्यूमिनियम वाउण्ड) थ्री फेज वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति के लिए विभिन्न फर्मों पर क्रयादेश (टीएन 2137) जारी किये (अप्रैल 2012)। कम्पनी ने आपूर्तियों को शुरु करने की मूल सूची को चार माह तक बढ़ा दिया (अगस्त 2012)। आगामी निविदा (टीएन 2176) की मूल्य निविदा खोली गई (30 अक्टूबर 2012) जिसमें निम्नतम दर ₹ 44,100 प्रति ट्रांसफॉर्मर पर तय की गई। नई निविदा में दर वर्तमान में चल रहे टीएन 2137 की अद्यतन दर (₹ 47,003.61 प्रति ट्रांसफॉर्मर) से कम थी।

हमने देखा कि 32 आपूर्तिकर्ताओं ने घटायी गई दर को स्वीकार नहीं किया। कम्पनी ने आदेशों में दर्शाई गई सुपुर्दगी सूची के अनुसार इन फर्मों से आपूर्तियों को इस तथ्य पर विचार किये बिना स्वीकार किया कि मूल सुपुर्दगी सूची को चार माह तक बढ़ा दिया था। कम्पनी द्वारा ऐसा करके उच्च दरों पर 5,593 ट्रांसफॉर्मर्स की ऐसी आपूर्तियों को स्वीकार किया जिसके परिणामतः ₹ 1.62 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

सरकार ने बताया कि मूल्य गिरावट वाक्यांश मूल सुपुर्दगी सूची के अनुसार लागू था क्योंकि कम्पनी द्वारा भुगतानों में देरी को ध्यान में रखते हुए केवल आपूर्तिकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए बढ़ाई गई सूची अनुमत की गई थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि सुपुर्दगी सूची में वृद्धि इस शर्त के साथ थी कि कम्पनी को कोई वित्तीय हानि नहीं होनी चाहिए थी।

उच्च मूल्यों पर खम्भों के क्रय के कारण अतिरिक्त व्यय

2.14.2 कम्पनी ने प्लेन सीमेंट कोंक्रीट (पीसीसी) खम्भों के तहत आठ मीटर (टीएन 4468 के अधीन 1,52,160 खम्भे) एवं नौ मीटर (टीएन 4467 के अधीन 2,77,691 खम्भे) खम्भों के क्रय के लिए सफल निविदादाताओं की मूल्य निविदाएं खोली (जून 2014)।

आठ मीटर खम्भे की निम्नतम दर (₹ 1,599 प्रति इकाई) पिछली निविदा के अद्यतन मूल्य (₹ 1,524.09 प्रति इकाई) से अधिक थी। नो मीटर खम्भों के संबंध में निम्नतम दर ₹ 2,147.25 प्रति इकाई थी। कम्पनी ने एल-1 दरों पर अन्य निविदादाताओं को प्रतिप्रस्ताव दिये लेकिन उन्होंने कम्पनी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। कम्पनी ने अपने प्रस्ताव को भी कई बार बढ़ाया एवं आखिरकार आठ एवं नो मीटर खम्भों के लिए निम्नानुसार क्रयादेश प्रदान किये:

खम्भों की संख्या	प्रति खम्भा दर	टिप्पणी
आठ मीटर खम्भे		
19,500	₹ 1,599	एल-1 दर पर तीन निविदादाताओं को क्रयादेश दिये गये (जुलाई 2014)।
36,000	₹ 1,599	तीन निविदादाताओं में से एक द्वारा अतिरिक्त मात्रा स्वीकार की गई जिसने निम्नतम दर को स्वीकार किया।
16,200	₹ 1,609	पांच निविदादाताओं को क्रयादेश दिये गये (जुलाई 2014)।
1,06,000	₹ 1,685	निविदाधीन मात्रा को बढ़ाने के बाद 56 निविदादाताओं को क्रयादेश दिये गये (सितम्बर 2014)।
नो मीटर खम्भे		
5,600	₹ 2,147.25	एल-1 निविदादाता को क्रयादेश दिया गया (जुलाई 2014)।
31,500	₹ 2,161	छह निविदादाताओं को क्रयादेश दिये गये (जुलाई 2014)।
12,000	₹ 2,225	दो निविदादाताओं को क्रयादेश दिये गये (जुलाई 2014)।
3,500	₹ 2,240	एक निविदादाता को क्रयादेश दिया गया (अगस्त 2014)।
2,17,109	₹ 2,340	55 निविदादाताओं को क्रयादेश दिये गये (सितम्बर 2014)।

हमने देखा कि सीएलपीसी ने आठ मीटर खम्भों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अल्पावधि निविदा आमंत्रित करने का निश्चय किया (जुलाई 2014) लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा सीएलपीसी हर बार उच्च मूल्यों को प्रस्तावित करके निविदादाताओं के साथ मोलभाव करती गई।

हमने देखा कि कम्पनी ने पिछली निविदा/अन्य डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई निविदा/ आगामी निविदा के आधार पर गणना की गई दरों के स्थान पर अतार्किक उच्च दरों पर क्रयादेश प्रदान किये। यह इस तथ्य से स्थापित हुआ कि कम्पनी ने ₹ 1,440 प्रति इकाई की दर पर आगामी निविदा (टीएन 4505²²) के अधीन आठ मीटर खम्भों के लिए क्रयादेश प्रदान किये गये एवं इस अवधि के दौरान अन्य डिस्कॉम्स द्वारा भी निविदाओं को अन्तिम रूप दिया गया था। आठ मीटर खम्भों के मामले में एवीवीएनएल ने टीएन 834 के अधीन ₹ 1,599.98 प्रति इकाई पर क्रयादेश जारी किये एवं जेडीवीवीएनएल ने टीएन 1046 के अधीन ₹ 1,611 प्रति इकाई पर क्रयादेश जारी किये। नो मीटर खम्भों के मामले में, एवीवीएनएल ने इस अवधि के दौरान ₹ 2,255.09 प्रति इकाई के मूल्य पर एक निविदा (टीएन 889) को अन्तिम रूप दिया।

कम्पनी ने अतार्किक उच्च दरों पर खम्भों को क्रय करके ₹ 2.66 करोड़²³ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया।

22 अगस्त 2015 में अन्तिम रूप दिया गया।

23 आठ मीटर खम्भों के लिए ₹ 0.81 करोड़ [1,06,402 X (₹ 1,685 - ₹ 1,609)] एवं नो मीटर खम्भों के लिए ₹ 1.85 करोड़ [2,17,109 X (₹ 2,340 - ₹ 2,255)]

सरकार ने बताया कि क्रय मैन्युअल के अनुसार एवं कम्पनी के हितों में निविदादाताओं को उचित प्रस्ताव देने के लिए सभी संभव प्रयास किये गये। साथ ही, निकासी सभा के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि कम्पनी द्वारा दिये गये विभिन्न बढ़ोतरी वाले प्रस्तावों को बार बार निविदादाताओं द्वारा स्वारिज किया गया था। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि निम्न दरों पर अन्य डिस्कॉम्स द्वारा क्रयादेश प्रदान करने की स्थिति में स्वम्भों के मूल्यों की घटती हुई प्रवृत्ति होने के उपरांत भी कम्पनी ने निविदादाताओं की मिलीभगत को समाप्त करने के लिए प्रयास नहीं किये। साथ ही, अल्पावधि निविदा आमंत्रित नहीं करने के लिए कारण अभिलेखित नहीं थे जैसा कि सीएलपीसी द्वारा निश्चय किया गया था।

निविदा के निरस्तीकरण के कारण उच्च मूल्यों पर मीटर्स का क्रय

2.14.3 कम्पनी ने तीनो डिस्कॉम्स के लिए 17.75 लाख सिंगल फेज स्टेटिक मीटर्स के क्रय के लिए टीएन 2248 के अधीन 17 निविदादाताओं की तकनीकी निविदाएं खोली (6 अगस्त 2014)। तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन एवं सीएलपीसी द्वारा अनुमोदन के बाद 12 निविदादाताओं की मूल्य निविदाएं खोली गई (26 नवम्बर 2014)। पिछली निविदा (टीएन-2158) के अधीन ₹ 858.01 प्रति मीटर के आदेशित मूल्य के विरुद्ध न्यूनतम मूल्य सभी को मिलाते हुए ₹ 689.27 प्रति मीटर था। अतिरिक्त टाइप टेस्ट/ छेड़छाड़ टेस्ट पास नहीं किये जाने वाले निविदादाताओं की मूल्य निविदा खोलने, कुछ अन्य निविदादाताओं द्वारा उद्धृत की गई करों/ लेवीज की दर वर्तमान दरों से मेल नहीं कर रही थी, निम्नतम निविदादाता बिहार राज्य में एक जनोपयोगी सेवा द्वारा निषिद्ध किया हुआ था एवं निविदादाताओं द्वारा सूचना को अपूर्ण प्रस्तुतीकरण के संबंध में एक निविदादाता (एचपीएल इलेक्ट्रीक एण्ड पावर लिमिटेड- एचपीएल) की शिकायत के मध्यनजर तथापि, सीएलपीसी ने निविदा को निरस्त करने एवं एक अल्पावधि निविदा आमंत्रित करने का निश्चय किया (12 दिसम्बर 2014)।

हमने देखा कि निम्नलिखित तथ्यों के मध्यनजर निविदा को निरस्त करने का सीएलपीसी का निर्णय न्यायसंगत नहीं था:

- तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा चार निविदादाताओं की मूल्य निविदाएं खोलने की सिफारिश की जो टीएन-2151 एवं टीएन-2246 में अपनाई गई भूतकालीन परम्परा के आधार पर अतिरिक्त टाइप टेस्ट/ छेड़छाड़ टेस्ट पास नहीं कर सके। तकनीकी-वाणिज्यिक समिति का दृष्टिकोण था कि ये फर्म आपूर्ति पूर्व के नमूनों की प्रस्तुति के समय पर विशिष्ट विवरणों की पालना कर सकती थी
- कम्पनी द्वारा तुलनात्मक विवरण तैयार करते समय उन दो निविदादाताओं के संबंध में करों/ लेवीज की वर्तमान दरों पर विचार किया जिन्होंने प्रचलित दरों के स्थान पर करों/ लेवीज की भिन्न- भिन्न दर उद्धृत की थी
- यह सुनिश्चित करने के लिए अभिलेख में कोई प्रलेख नहीं थे कि एल-1 फर्म को बिहार राज्य में एक जनोपयोगी सेवा द्वारा निषिद्ध किया गया था। साथ ही, निविदा की शर्तानुसार एक निविदादाता को तभी अयोग्य ठहराया जा सकता था जब इसे राज्य की तीनों डिस्कॉम्स में से किसी के द्वारा निषिद्ध घोषित किया जा चुका हो।

हमने देखा कि कम्पनी ने 17.75 लाख मीटर्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अल्पावधि निविदा (टीएन 2298) आमंत्रित की। योग्य निविदादाताओं की मूल्य निविदाएं खोली गईं (5 मई 2015) जिनमें निम्नतम दर ₹ 749.73 प्रति मीटर थी।

कम्पनी ने अन्ततः चार लाख मीटर्स के लिए ₹ 740 के मोलभाव के पश्चात प्रति इकाई मूल्य पर एचपीएल को आदेश प्रदान किये (जून 2015) एवं आपूर्तियों को इस मूल्य पर स्वीकार किया गया।

इस प्रकार, टीएन 2248 के अविवेकपूर्ण निरस्तीकरण के परिणामतः उच्च मूल्यों पर मीटर्स के क्रय में कम्पनी को ₹ 2.03 करोड़ की हानि हुई।

सरकार ने बताया कि निविदा को न्यायसंगत आधार पर निरस्त किया गया था। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि मूल्य निविदाएं तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन करने एवं सीएलपीसी द्वारा अनुमोदन के बाद खोली गई थी जिन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर विचार किया था।

सुपुर्दगी सूची से पूर्व आपूर्तियों को स्वीकार करना

2.15 अनुबंध की सामान्य शर्तों के वाक्यांश 1.23 में निर्दिष्ट था कि सुपुर्दगी अनुबंध का सार तत्व है एवं इस प्रकार, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सुपुर्दगी सूची की कड़ाई से पालना किये जाने की आवश्यकता है। सामान्यतः कम्पनी को अत्यावश्यकता के मामले को छोड़कर आपूर्तियों को सुपुर्दगी सूची से पूर्व स्वीकार नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के बिना सुपुर्दगी सूची से पूर्व सामग्री की प्राप्ति पर प्रकाश डालने वाले दो दृष्टान्तों की चर्चा नीचे की गई है:

अर्थिंग सैटस का क्रय

2.15.1 कम्पनी ने ₹ 422.68 (एक्स वर्क्स) प्रति सैट की दर पर 1,52,597 गैल्वनाइज्ड माइल्ड स्टील रॉड टाइप अर्थिंग सैटस की आपूर्ति के लिए विभिन्न फर्मों पर क्रयादेश (टीएन 4534) जारी किये (सितम्बर 2015)। फर्मों द्वारा अक्टूबर 2015 एवं मई 2016 के बीच सामग्री की आपूर्ति करना आवश्यक था।

हमने देखा कि स्पष्ट तौर पर सामग्री के स्टॉक की खराब स्थिति (15 अगस्त 2015 को 11,565 सैटस) के मध्यनजर कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट सुपुर्दगी सूची से पूर्व सामग्री की आपूर्ति करने के लिए फर्मों को अनुरोध किया (सितम्बर 2015)। तदनुसार, 1,52,597 सैटस में से 1,46,391 सैटस की आपूर्ति के लिए सितम्बर एवं अक्टूबर 2015 में प्रेषण निर्देश जारी किये गये। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अक्टूबर 2015 तक अनुरोध की गई मात्रा की सुपुर्दगी कर दी गई।

आपूर्तियों को समयपूर्व खिसकाने का कम्पनी का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि सामग्री का औसत उपभोग सितम्बर 2015 से मई 2016 के दौरान लगभग 11,676 सैटस प्रति माह था। मई 2016 को, कम्पनी के पास सामग्री का शेष 55,703 सैटस था जो कि अगले चार माह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। हमने देखा कि कम्पनी ने सुपुर्दगी सूची से पूर्व सामग्री को स्वीकार करके न केवल कोषों को अवरुद्ध किया बल्कि ₹ 44.90 लाख के नकारात्मक मूल्य विचलन का लाभ भी नहीं उठा सकी। सामग्री का मूल्य लगातार घटता जा रहा था क्योंकि लागू होने वाला मूल्य विचलन नकारात्मक पक्ष की ओर था। यह सितम्बर 2015 में (-) 3.16 प्रतिशत से अप्रैल 2016 में (-) 13.14 प्रतिशत तक विचरित था।

सरकार ने बताया कि सामग्री की अत्यधिक आवश्यकता के मध्यनजर आपूर्ति को समय पूर्व किया गया था लेकिन यह इसके मिलती हुई सामग्री की कमी के कारण उपभोग नहीं किया जा सका। साथ ही, पहले ही यह पूर्वानुमान नहीं किया जा सका कि क्या सूचकांक नीचे की तरफ जायेंगे अथवा उपर की तरफ। तथ्य यही रहा कि समान मिलान करती हुई सामग्री की आपूर्ति को सुनिश्चित किये बिना सुपुर्दगी सूची से पूर्व सामग्री को स्वीकार करने के निर्णय के कारण कोष अवरुद्ध हुए।

वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कियोस्कों का क्रय

2.15.2 कम्पनी ने वर्ष 2012-13 की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 12 केवी आउटडोर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कियोस्क (वीसीबी कियोस्क) की 1,822 इकाइयों के लिए क्रयादेश (टीएन 2169) जारी किये (अगस्त 2012)। 1,822 इकाइयों में से 1,252 इकाइयां फरवरी 2014 तक सुपुर्दगी सूची के साथ स्टेलमेक लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा आपूर्ति की जानी थी। कम्पनी ने सामग्री की आपात आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फर्म को सुपुर्दगीयों को समयपूर्व करने का अनुरोध किया (सितम्बर एवं दिसम्बर 2012)। कम्पनी ने 174 इकाइयों (31 अगस्त 2013 को) की स्टॉक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 313 इकाइयों के लिए फर्म पर एक अतिरिक्त क्रयादेश भी जारी किया (सितम्बर 2013)। आपूर्तिकर्ता (स्टेलमेक लिमिटेड) ने, तथापि, कम्पनी के ध्यान में लाया (नवम्बर 2013) कि टीएन 2169 के अधीन आपूर्ति 863 वीसीबी कियोस्क संस्थापन के अभाव में स्टोर्स पर पहले से ही पड़े हुए थे।

कम्पनी ने वर्ष 2013-14 की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक नई निविदा (टीएन 2207) को भी अन्तिम रूप दिया (दिसम्बर 2013) एवं स्टेलमेक लिमिटेड (678 इकाइयां) एवं तोशिबा लिमिटेड (828 इकाइयां) को क्रयादेश जारी किये। सामग्री की आपात आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फर्म को उनकी सुपुर्दगीयों को समयपूर्व करने का अनुरोध भी किया गया (फरवरी 2014)। इस प्रकार, कम्पनी ने वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 3641 वीसीबी कियोस्कों के लिए क्रयादेश जारी किये।

टीएन 2169 एवं टीएन 2207 के अधीन वीसीबी कियोस्कों की आपूर्ति एवं उनके संस्थापन की समीक्षा से उजागर हुआ कि स्टेलमेक लिमिटेड की 863 इकाइयां एवं तोशिबा लिमिटेड की 672 इकाइयां स्टोर्स पर आपूर्ति से लेकर क्रमशः 533 एवं 724 दिनों तक भण्डार में पड़ी रही। फिल्ड की आपात आवश्यकताओं को उद्घृत करते हुए वीसीबी कियोस्कों की आपूर्तियों को समयपूर्व करने के लिए जारी किये गये निर्देश, इस प्रकार, न्यायसंगत नहीं थे। कम्पनी द्वारा 1,535 वीसीबी कियोस्कों का अनावश्यक क्रय करके वीसीबी कियोस्क की गारंटी अवधि कालातीत होने के अलावा एक सारभूत अवधि के लिए ₹ 38.39 करोड़ की कोष राशि को अवरुद्ध किया गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि राज्य सरकार के 60 दिवसीय कार्यक्रम को लागू करने के लिए टोंक, अलवर एवं सवाईमाधोपुर वृत्तों की अत्यावश्यक मांग पर वीसीबी कियोस्क क्रय किये गये थे। इसके अतिरिक्त, प्रबंध निदेशक ने उपलब्ध सामग्री के अतिरिक्त इन वृत्तों पर 203 वीसीबी कियोस्क उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश जारी किये (जून 2014)। निकासी सभा में प्रबंधन ने यह भी बताया कि वीसीबी कियोस्कों की सुपुर्दगी एवं संस्थापन के मध्य समयांतराल इसके संस्थापन कार्य अलग एजेंसी को दिये जाने के कारण था। साथ ही, सभी वीसीबी कियोस्क कम्पनी द्वारा स्थापित किये गये थे। तथ्य यही रहा कि वीसीबी

कियोस्कों के संस्थापन में महत्वपूर्ण देरी थी एवं साथ ही कुछ कियोस्क उनकी गारण्टी अवधि के समाप्त हो जाने के बाद संस्थापित किये गये थे।

सामग्री का अनुचित निरीक्षण/ जांच

2.16 कम्पनी के निरीक्षण प्राधिकारी के लिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित सामग्री आवश्यक गुणवत्ता एवं विशिष्ट विवरणों की पुष्टि करती है। साथ ही, सामग्री के भिन्न-भिन्न प्रकारों को नामित प्रयोगशालाओं में आवश्यक जांच के बाद स्वीकार किया जाना था। हमने देखा कि चार मामलों में जहां कम्पनी ने बिना उचित निरीक्षण एवं जांच के सामग्री को क्रय किया, एवं जहां जिम्मेदार आपूर्तिकर्ताओं एवं अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही पर्याप्त नहीं थी, वहां तुरंत कार्यवाही करने में विफलता के कारण घटिया सामग्री का उपयोग किया गया।

दृष्टान्तों की चर्चा नीचे संक्षिप्त रूप से की गई है।

नॉन स्टार रेटेड ट्रांसफॉर्मर्स का क्रय

2.16.1 कम्पनी ने ₹ 1.47 करोड़ मूल्य के 16 केवीए के 368 थ्री फेज (एल्यूमिनियम वाउण्ड) चार स्टार रेटेड वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति के लिए सेंच्युरी इन्फ्रा पावर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर (फर्म) को एक क्रयादेश (टीएन 2217) प्रदान किया (अप्रैल 2014)। ट्रांसफॉर्मर्स पर बीई/ सीआईपी/ 03/0300/10 यूनिफ लेबल सीरीज कोड वाला ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) का स्टार लेबल लगा होना आवश्यक था। फर्म ने जुलाई 2015 तक ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति पूर्ण की।

हमने देखा कि बीईई ने फर्म को 9 अगस्त 2014 तक की वैधता अवधि के साथ स्टार रेटेड लेबल लगाने के लिए अनुमति प्रदान की (अगस्त 2011)। फर्म द्वारा आवश्यक जांच रिपोर्ट्स एवं अन्य प्रलेखों को प्रस्तुत करने के बाद बीईई ने 19 मई 2015 से अनुमति का नवीनीकरण किया (1 जून 2015)। इस प्रकार, फर्म, बीईई (वितरण ट्रांसफॉर्मर्स के लेबलों पर विवरण एवं उनके प्रदर्शन के तरीके) विनियम, 2009 के अनुसार 10 अगस्त 2014 से 18 मई 2015 तक की अवधि के दौरान स्टार रेटिंग लेबल लगाने के लिए योग्य नहीं थी।

कम्पनी की निरीक्षण प्राधिकारियों ने, तथापि, इन तथ्यों को संज्ञान में नहीं लिया तथा 1 अक्टूबर 2014 एवं 26 नवम्बर 2014 के मध्य फर्म को जारी किये गये चार प्रेषणादेशों के विरुद्ध निविदा/ क्रयादेश के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन में ₹ 0.86 करोड़ मूल्य के 220 नॉन स्टार रेटेड ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्तियों को स्वीकार किया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया लेकिन बताया कि कम्पनी द्वारा स्वीकार की गई सामग्री में कोई कमी नहीं थी। बीईई के साथ प्रक्रियात्मक देरी के कारण आपूर्तिकर्ता स्टार लेबलिंग उपलब्ध नहीं करा सका।

सामग्री का अनुचित निरीक्षण

2.16.2 कम्पनी ने ₹ 61,970.80 प्रति किमी के एफओआरडी²⁴ मूल्य पर 2,521 किमी एसीएसआर डॉग कंडक्टर की आपूर्ति के लिए राजस्थान ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड स्वीचगीयर्स,

24 फ्री ऑन रेल डेस्टिनेशन।

जयपुर (फर्म) को क्रयादेश (टीएन 4397) प्रदान किया (अप्रैल 2013)। कम्पनी के निरीक्षण प्राधिकारी ने प्रस्तावित सामग्री का कार्यस्थल (फर्म का परिसर) पर निरीक्षण किया एवं 7 अक्टूबर 2013 तक जारी किये गये प्रेषणादेशों के लिए कंडक्टर के चार लोटस (1,129.31 किमी) को अनुमति प्रदान की। साथ ही, कंडक्टर के 140 ड्रम्स (312.17 किमी) की आपूर्ति के लिए अन्य प्रेषणादेश जारी किया गया (18 अक्टूबर 2013)।

फर्म द्वारा आपूर्तित सामग्री की निम्न गुणवत्ता के संबंध में कम्पनी को झालावाड़ एसीओएस के विशिष्ट संदर्भ के साथ एक अज्ञात शिकायत प्राप्त हुई (अक्टूबर 2013)। शिकायतकर्ता ने कम्पनी अधिकारियों एवं फर्म के संबंधित कार्मिक के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने दर्शाया कि कम्पनी के कार्मिक फर्म के निर्देशों पर सीटीएल पर जांच के लिए केवल निश्चित नमूने ही चयन कर रहे थे।

मुख्य अभियंता (एमएम) ने शिकायत को सत्यापित करने के लिए एक समिति गठित की (29 अक्टूबर 2013)। समिति ने 23 सितम्बर 2013 (44.59 किमी कंडक्टर वाले 20 ड्रम्स) एवं 7 अक्टूबर 2013 (89.19 किमी कंडक्टर वाले 40 ड्रम्स) को जारी किये गये प्रेषणादेशों के अधीन एसीओएस झालावाड़ पर प्राप्त हुई आपूर्तियों के विरुद्ध सीटीएल जांच के लिए तीन²⁵ ड्रम्स का चयन किया। कम्पनी द्वारा सीटीएल, जयपुर पर जांच के दौरान तीन ड्रम्स की सामग्री की गुणवत्ता में निम्नलिखित मुख्य विसंगतियां देखी गईं:

विवरण	ड्रम संख्या		
	825	965	1000
4.67 एमएम न्यूनतम आवश्यकता के विरुद्ध एल्यूमिनियम स्ट्रैंडस का व्यास	4.38 एमएम से 4.40 एमएम	4.51 एमएम से 4.52 एमएम	4.26 एमएम से 4.41 एमएम
2.57 केएन के गारन्टिड तकनीकी मापदण्ड के अनुसार सभी स्टील स्ट्रैंडस का ब्रेकिंग लोड	1.38 केएन से 1.56 केएन	1.34 केएन से 1.42 केएन	0.98 केएन से 1.20 केएन
2.64 केएन की न्यूनतम आवश्यकता के विरुद्ध सभी एल्यूमिनियम स्ट्रैंडस की टेन्सिल स्ट्रैन्थ	2.46 केएन से 2.63 केएन	2.43 केएन से 2.56 केएन	2.13 केएन से 2.40 केएन
1.65 ओम /किमी के अधिकतम के विरुद्ध एल्यूमिनियम स्ट्रैंडस की प्रतिरोधकता	1.79 से 1.81 ओम /किमी	1.69 से 1.72 ओम /किमी	1.81 से 1.89 ओम /किमी

मीलीमीटर (एमएम), किलोन्यूटन (केएन), ओम (इलेक्ट्रिकल प्रतिरोध की प्रमाणित अंतर्राष्ट्रीय इकाई)

उपरोक्त के अतिरिक्त, ड्रम संख्या 825 में 535 मीटर की दूरी पर निर्माण दोष की जांच के दौरान सभी सातों स्टील स्ट्रैंडस टूटे हुए पाये गये। सीएलपीसी ने शेष आपूर्ति (1,258.48 किमी) एवं 23 सितम्बर 2013 एवं 7 अक्टूबर 2013 को जारी किये गये प्रेषणादेशों के विरुद्ध एसीओएस झालावाड़ पर की गई आपूर्तियों को निरस्त करने तथा निरस्त की गई मात्रा (1,258.48 किमी) के पांच प्रतिशत की अधिकतम शास्ति

25 ड्रम संख्या 825 (23 सितम्बर 2013 को जारी किये गये प्रेषणादेश के अधीन) एवं ड्रम संख्या 965 एवं 1000 (7 अक्टूबर 2013 को जारी किये गये प्रेषणादेश के अधीन)।

(₹ 32.85 लाख) लगाने का निश्चय किया (23 जनवरी 2014)। तथापि, अलवर एसीओएस एवं बहरोड़ उपस्टोर ने सीएलपीसी के निर्णय के उपरांत भी 18 अक्टूबर 2013 को जारी किये गये प्रेषणादेश के विरुद्ध अधीक्षण अभियंता (प्रापण) के आदेशों पर फर्म से 133.79 किमी कंडक्टर स्वीकार किया (मार्च 2014)।

एक अज्ञात शिकायतकर्ता ने, इस प्रकार, कम्पनी के कार्मिकों द्वारा सामग्री की घटिया गुणवत्ता के क्रय पर प्रकाश डालते हुए एक किसल ब्लोवर होना सिद्ध किया।

हमने देखा कि सीटीएल जांच के लिए एसीओएस झालावाड़ से चयन किये गये ड्रम्स विभिन्न एसीओएस पर 120 ड्रम्स (267.574 किमी) एवं 140 ड्रम्स (312.170 किमी) के लोट से संबंधित थे जो क्रमशः 23 सितम्बर 2013 एवं 7 अक्टूबर 2013 को जारी किये गये प्रेषणादेशों से संबंधित थे। कम्पनी ने फर्म से ₹ सात करोड़ मूल्य वाले लगभग 1,130 किमी (एसीओएस झालावाड़ को की गई आपूर्ति को छोड़कर जो निरस्त कर दी गई थी) कंडक्टर की आपूर्तियां प्राप्त की। जांच के दौरान देखी गई असामान्य विसंगतियां सामग्री की गुणवत्ता के बारे में गहरा शक पैदा करती हैं लेकिन कम्पनी ने फर्म से प्राप्त की गई समस्त सामग्री की जांच नहीं कराई। कम्पनी ने सामग्री की घटिया गुणवत्ता के क्रय के लिए जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही भी नहीं की। साथ ही, कम्पनी ने काली सूची में डालने के स्थान पर फर्म को केवल एक साल की अवधि के लिए आगे की निविदाओं में भाग लेने से निषिद्ध कर दिया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि स्टोर्स में सामग्री की प्राप्ति के बाद अब नमूने कम्प्युटर से उत्पन्न यादृच्छिक कार्यक्रम के माध्यम से चुने जा रहे हैं।

कम भार वाली सामग्री को स्वीकार करके आपूर्तिकर्ताओं को अदेय लाभ

2.16.3 कम्पनी ने क्लेम्प एवं टॉप हैम्पर के साथ 11 केवी क्रोस आर्म एंगल की 50,000 इकाइयों की आपूर्ति के लिए नाकोड़ा प्रोडक्ट्स, वड़ोदरा (फर्म) को क्रयादेश (टीएन 4413) जारी किया (20 मई 2013)। क्रयादेश में दिये गये तकनीकी विशिष्ट विवरणों के वाक्यांश सी के अनुसार भार में सहन सीमा (+) 2 प्रतिशत से (-) 4 प्रतिशत थी।

हमने देखा कि झालावाड़ एवं करौली एसीओएस ने 26 जून 2013 एवं 6 अगस्त 2013 को जारी किये गये प्रेषणादेशों (2076 एवं 2902) के विरुद्ध प्राप्त हुई आपूर्तियों में एंगल्स के कम भार के बारे में शिकायत की। झालावाड़ एसीओएस पर प्रेषणों का भार (प्रत्येक प्रेषणादेश के अधीन 1250 इकाइयों) 15.986 एमटी की निर्दिष्ट भार के विरुद्ध 15.240 एमटी एवं 15.155 एमटी था। वास्तविक भार निर्दिष्ट भार से क्रमशः 4.67 प्रतिशत एवं 5.20 प्रतिशत कम था। करौली एसीओएस के संबंध में, प्रेषणादेश (2076)के विरुद्ध प्राप्त हुई 1,250 इकाइयों की प्रेषित मात्रा का भार 15.055 एमटी था जो निर्दिष्ट भार से 5.82 प्रतिशत कम था। इसके अतिरिक्त, कम भार की एक और शिकायत अलवर एसीओएस से भी प्राप्त हुई थी (जुलाई 2013) जहां 1,250 इकाइयों (प्रेषणादेश नम्बर 2076) का प्रेषित भार 15.986 एमटी के स्थान पर 14.660 एमटी था (निर्दिष्ट भार से 8.29 प्रतिशत कम)।

सीएलपीसी ने झालावाड़, करौली एवं अलवर एसीओएस के स्टोर्स में पड़ी हुई सामग्री को वापस उठाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को आदेश जारी करने के लिए कम्पनी को निर्देशित किया (11 दिसम्बर 2013)। कम्पनी ने, तथापि, ऐसा नहीं किया।

बाद में, सामग्री की स्थिति के बारे में जेपीडीसी, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक एवं अलवर एसीओएस से पूछताछ पर यह पाया गया कि सामग्री या तो स्टोर्स में पड़ी हुई थी अथवा फिल्ड कार्यालयों को जारी कर दी गई थी। मामले पर एक बार फिर सीएलपीसी की सभा में चर्चा की गई (जुलाई 2014) जिसमें यह दोहराया गया था कि फर्म को विभिन्न स्टोर्स में पड़ी हुई घटिया सामग्री को वापस उठानी चाहिए। सीएलपीसी ने क्रोस आर्म एंगल्स के कम भार वाली आपूर्तित सामग्री के मूल्य के दो गुणे के बराबर राशि की शास्ति लगाने का भी निर्देश दिया।

हमने देखा कि 2076 एवं 2902 प्रेषणादेशों के अधीन सामग्री (25,000 इकाइयां) कम्पनी के 10 एसीओएस को जारी की गई थी (प्रत्येक प्रेषणादेश के अधीन प्रत्येक एसीओएस को 1,250 इकाइयां)। तथापि, केवल 10,000 इकाइयों की मात्रा को शामिल करते हुए छह²⁶ (प्रेषणादेश नम्बर 2076) एवं दो²⁷ (प्रेषणादेश नम्बर 2902) एसीओएस को भेजे गये प्रेषणों के लिए कार्यवाही की गई थी। कम्पनी ने 2076 एवं 2902 नम्बर प्रेषणादेशों के अधीन शेष एसीओएस को आपूर्तित सामग्री (15,000 इकाइयां) के भार की पुष्टि करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। साथ ही, सीएलपीसी के आदेश पर तुरंत कार्यवाही करने में कम्पनी की विफलता ने फिल्ड कार्यालयों द्वारा सामग्री के उपयोग को बढ़ावा दिया।

सरकार ने बताया कि कुछ स्टोर्स पर प्राप्त हुई सामग्री का भार निर्धारित सीमा में पाया गया था। अन्य स्टोर्स में, सामग्री को शास्ति के साथ स्वीकार किया गया था क्योंकि फिल्ड कार्यालयों को सामग्री पहले ही जारी कर दी गई थी। तथ्य यही रहा कि कम्पनी ने फिल्ड में घटिया सामग्री का उपयोग किया।

निरीक्षण प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का अभाव

2.16.4 कम्पनी ने ₹ 8.18 लाख की लागत पर 300 नो मीटर पीसीसी पोल्स की आपूर्ति के लिए अंकित इंडस्ट्रीज (आपूर्तिकर्ता) को क्रयादेश (टीएन 4374) जारी किया (अक्टूबर 2012)। क्रयादेश के वाक्यांश 15 (निरीक्षण, परीक्षण एवं जांच) में बताया गया था कि आपूर्तिकर्ता इस तथ्य के समर्थन में निर्माता से जांच परिणामों को प्रस्तुत करेगा कि पोल्स के निर्माण में आवश्यक मात्रा में उच्च टेन्साइल स्टील वायर प्रयुक्त किया गया था। आपूर्तिकर्ता द्वारा यह प्रमाणित करना भी आवश्यक था कि पोल्स के निर्माण में प्रयुक्त सीमेण्ट, प्री-स्ट्रेस्ड स्टील वायर्स, माइल्ड स्टील बार, एग्रीगेटस एवं अन्य सामग्री आवश्यक विशिष्ट विवरणों के अनुसार थी।

निरीक्षण प्राधिकारी (सहायक अभियंता-एआई, गंगापुर सिटी) ने 100 पोल्स का निरीक्षण किया (नवम्बर 2012) एवं सत्यापित किया कि पोल्स आवश्यक विशिष्ट विवरणों से मेल खाते हुए थे। आपूर्तिकर्ता ने भी प्रमाणित किया कि निरीक्षण के लिए प्रस्तावित किये गये सभी पोल्स क्रयादेश में निर्धारित डिजाइन, स्ट्रैन्थ एवं कारीगरी के अनुसार थे एवं पोल्स के निर्माण में

26 झालावाड़, करौली, जयपुर जिला वृत्त, दौसा, सवाईमाधोपुर एवं अलवर।

27 झालावाड़ एवं टोंका

सीमेण्ट, ग्री-स्ट्रेंस स्टील वायर्स, माइल्ड स्टील बार, एग्रीगेट्स एवं अन्य सामग्री निर्धारित विशिष्ट विवरणों के अनुसार प्रयुक्त की गई थी।

अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम), सवाईमाधोपुर ने तथापि, शिकायत की (मार्च 2013) कि आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्तित पोल्स की गुणवत्ता बहुत खराब थी। उसने रिपोर्ट किया कि एक डिपोजिट कार्य के लिए आवंटित किये गये सभी 43 पोल्स खड़े करते समय टूट गये थे एवं 20 वायर्स की आवश्यकता के विरुद्ध पोल्स के भीतर की ओर केवल 16 स्टील वायर्स पाये गये थे। साथ ही, पोल्स में गैल्वनाइज्ड आयरन वायर नहीं थे। आपूर्तिकर्ता ने स्वीकार किया (14 मार्च 2013) कि पोल्स खराब गुणवत्ता के थे एवं बताया कि पोल्स के निर्माण के लिए एक नये ठेकेदार को लगाने के कारण यह लापरवाही घटित हुई। आपूर्तिकर्ता ने यह भी स्वीकार किया कि पोल्स के निर्माण में वायर्स की कम मात्रा प्रयुक्त करने के कारण पोल्स टूट गये थे। कम्पनी ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की (मार्च 2013)।

समिति ने रिपोर्ट किया (मार्च 2013) कि टूटे हुए पोल्स कार्यस्थल पर अथवा स्टोर्स में नहीं पाये गये। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि किसी भी कार्य स्थल पर पोल्स के स्टील पार्ट्स मौजूद नहीं थे एवं किसी ने जानबूझकर पोल्स को नष्ट किया एवं स्टील पार्ट्स को ले गया। तथ्यों को भ्रमित करने के लिए अन्य पोल्स की क्रम संख्या के साथ छेड़छाड़ करके छोड़ा गया था। टीम ने पोल को क्षतिग्रस्त हालत में पाया जिसमें 16 हाई टेन्साइल स्टील वायर्स थे एवं गैल्वनाइज्ड आयरन वायर नहीं था। पोल्स के निर्माण में प्रयुक्त कॉन्क्रीट मिक्स, तथापि, घटिया गुणवत्ता के प्रतीत हुए।

सीएलपीसी ने फर्म को एक साल की अवधि के लिए अगली निविदा में भाग लेने से निषिद्ध कर दिया (अप्रैल 2013)। सीएलपीसी ने प्रथम लोट (99 पोल्स) के लिए भुगतान को रोकने एवं शेष मात्रा के लिए आदेश को निरस्त करने के लिए निर्देशित भी किया था। शेष मात्रा को निरस्त करने का निर्णय, तथापि, अतार्किक था क्योंकि आपूर्तिकर्ता मार्च 2013 तक आपूर्तियों को पूरा कर चुका था। पिछले लोट्स के अधीन आपूर्तित सामग्री की घटिया गुणवत्ता की जानकारी होने के उपरांत भी 102 पोल्स के अन्तिम लोट के लिए प्रेषणादेश जारी किया गया (5 मार्च 2013)।

कम्पनी ने, तथापि, निरीक्षण प्राधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जिसके द्वारा सामग्री की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के आधार पर आपूर्तिकर्ता से सामग्री को स्वीकार किया गया था।

सरकार ने बताया कि निरीक्षण यादृच्छिक आधार पर किया गया था जो सम्पूर्ण लोट की गुणवत्ता को नहीं दर्शाता था एवं कम्पनी इस प्रणाली को सुधारने के लिए प्रयास कर रही थी। उत्तर सहमतिकाकारक नहीं था क्योंकि सभी पोल्स घटिया गुणवत्ता वाले थे।

सामग्री प्रबंध

2.17 एक कुशल सामग्री प्रबंध तंत्र का लक्ष्य सामग्री के आधिक्य को खत्म करके पूंजी निवेश को न्यून करना, आवश्यक सामग्री की समय पर उपलब्धता, उचित स्टॉक सुरक्षा सीमा को बनाये रखते हुए मांग उच्चावचनों पर नियंत्रण करना, एवं अप्रचलन एवं गुणवत्ता में गिरावट से होने वाली हानि के जोखिम को न्यून करना होता है। सामग्री प्रबंध के लिए मुख्य रूप से

अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) जिम्मेदार है। लेखापरीक्षा परिणामों द्वारा सामग्री प्रबंध के अंतर्गत निष्क्रिय सामग्री, अधिक प्रापण, चोरी, आगजनी, गबन एवं कमी जैसी ₹ 73.64 करोड़ मूल्य की विसंगतियां उजागर की गईं।

सामग्री नियंत्रण

2.18 क्रय मैनुअल में प्रावधान है कि क्रय की जाने वाली मर्चों की मात्रा जहां तक संभव हो सके सामग्री के न्यूनतम स्तर; पुनः आदेश स्तर, अधिकतम स्तर, मूल्य विश्लेषण (एबीसी), गतिविधि विश्लेषण इत्यादि जैसी सामग्री नियंत्रण तकनीकों से मार्गदर्शित होनी चाहिए। स्टोर्स मैनुअल के अनुसार सामग्री की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने तथा आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा सामग्री की सुपूर्दगी में विलम्ब से निपटने के लिए कम्पनी द्वारा बफर स्टॉक की मात्रा को बनाए रखना भी आवश्यक था। सामग्री एवं इसके बफर स्टॉक के आवश्यक स्तरों का निर्धारण स्टोर कार्यालयों की सिफारिशों एवं कोषों की उपलब्धता के आधार पर मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा किया जाना था।

कम्पनी द्वारा, तथापि, सामग्री के समुचित प्रबंध के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण स्तरों को निश्चित नहीं किया गया था। कम्पनी द्वारा सामग्री में निवेश, सामग्री अवधारण लागत, तथा सामग्री के अप्रचलन एवं इसकी गुणवत्ता में गिरावट की जोखिम को कम करने के लिए मूल्य विश्लेषण भी नहीं किया गया। वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान सामग्री की स्थिति निम्न प्रकार थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
प्रारम्भिक स्टॉक	एसीओएस	235.50	323.75	388.83	334.11	377.03
	उपस्वण्डीय स्टोर्स	171.93	140.18	164.97	152.62	162.91
	कुल	407.43	463.93	553.80	486.73	539.94
वर्ष के दौरान क्रय		980.85	1077.12	852.50	884.57	824.45
अन्तिम स्टॉक	एसीओएस	323.75	388.83	334.11	377.03	362.39
	उपस्वण्डीय स्टोर्स	140.18	164.97	152.62	162.91	142.46
	कुल	463.93	553.80	486.73	539.94	504.85
वर्ष के दौरान उपभोग		924.35	987.25	919.57	831.36	859.54
औसत मासिक उपभोग		77.03	82.27	76.63	69.28	71.63
मासिक उपभोग ²⁸ के आधार पर सामग्री		5.66	6.19	6.79	7.41	7.29

यह देखा जा सकता है कि 2014-15 एवं इसके बाद औसत मासिक उपभोग घटने के उपरांत भी 2012-13 से 2015-16 के दौरान मासिक उपभोग के संदर्भ में सामग्री धारण 5.66 माह से बढ़कर 7.41 माह हो गया एवं इसके बाद 2016-17 के दौरान यह सीमांत रूप से 7.29 माह तक घट गया। इसने एसीओएस तथा उपस्वण्ड भण्डारों पर सामग्री भण्डारण के उच्च स्तर को इंगित किया।

समापन सभा के दौरान सरकार एवं कम्पनी के प्रबंधन ने बताया कि सामग्री के महत्वपूर्ण स्तरों के निर्धारण, मूल्य विश्लेषण, सामग्री चलन विश्लेषण लेखांकन, एवं सामग्री को जारी करने के

28 मासिक उपभोग के आधार पर स्टॉक = औसत स्टॉक / (उपभोग की गई सामग्री / 12 माह)।

तंत्र को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किये जायेंगे। सरकार ने उत्तर में बताया कि कम्पनी ईआरपी तंत्र को क्रियान्वित कर रही है जिसमें सामग्री प्रबंध को एक मोड्यूल के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

सामग्री का चलन विश्लेषण

2.18.1 अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा एसीओएस में उपलब्ध स्लो मूविंग, नॉन मूविंग एवं अप्रचलित मदों के संबंध में निर्देश जारी किये गये (30 मार्च 2015)। इन निर्देशों के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान कुल मात्रा में से 10 प्रतिशत मात्रा तक जारी की गई मदों को स्लो मूविंग मदों के रूप में ध्यान में रखा जाना था। जो मदें पिछले दो वर्षों से अधिक की अवधि में जारी नहीं की गई थी उन्हें नॉन मूविंग मदों के रूप में ध्यान में रखा जाना था। जिन मदों को पिछले दो वर्षों से अधिक की अवधि में जारी नहीं किया गया एवं भविष्य में जिनके प्रयुक्त किये जाने की संभावना नहीं थी उन्हें अप्रचलित मदें घोषित किया जाना था। अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा संचालक मण्डल को त्रैमासिक आधार पर सर्वेक्षण रिपोर्ट्स प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था।

हमने देखा कि एसीओएस एवं उपस्वण्ड भण्डारों द्वारा स्लो मूविंग, नॉन मूविंग एवं अप्रचलित मदों को पहचानने के लिए नियमिताधार पर सामग्री का चलन विश्लेषण नहीं किया गया। यहां तक कि त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट्स भी संचालक मण्डल को प्रस्तुत नहीं की गई थी। सामग्री सत्यापक (आंतरिक अंकेक्षण) द्वारा एसीओएस एवं उपस्वण्ड भण्डारों के भौतिक सत्यापन के समय सामग्री का चलन विश्लेषण किया गया। तथापि, प्रत्येक एसीओएस एवं उपस्वण्ड भण्डार का भौतिक सत्यापन नियमिताधार पर नहीं किया गया था।

सरकार ने बताया कि स्टॉफ की कमी के कारण कुछ भण्डारों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। नियमिताधार पर संचालक मण्डल को रिपोर्ट्स प्रस्तुत नहीं किये जाने के संबंध में उत्तर मौन था।

भण्डारण निर्गम दर का अनुचित निर्धारण

2.18.2 स्टोर्स मैनुअल के वाक्यांश 9.17 में प्रावधान था कि सामग्री की सुपुर्दगी के बाद किये गये समस्त प्रभारों यथा भाड़ा, सामग्री हैण्डलिंग एवं स्टेकिंग, देख-रेख, संस्थापन, हैण्डलिंग इत्यादि को 'भण्डारण' शीर्ष के अंतर्गत खाताबही में दर्ज किये जाते हैं। अधीक्षण अभियंता (आई एण्ड एस) द्वारा संबंधित एसीओएस की सिफारिशों के आधार पर एवं वृत्त लेखाधिकारी के परामर्श से सभी एसीओएस के लिए एक वार्षिक समान भण्डारण दर निर्धारित की जानी आवश्यक थी। वार्षिक समान भण्डारण दर की गणना इस प्रकार से की जानी थी कि कुल अनुमानित वार्षिक व्यय को वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली संभावित सामग्री पर प्रभारित किया जा सके। भण्डारण दर को भण्डारण प्रभारों के रूप में स्टोर निर्गम नोट के माध्यम से जारी की गई सामग्री के मूल्य पर आरोपित किया जाना था।

हमने देखा कि अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा कुल अनुमानित वार्षिक भण्डारण व्यय पर आधारित एक समान भण्डारण दर निर्धारित नहीं की गई तथा इसके स्थान पर सामग्री की लागत को 15 प्रतिशत से बढ़ाने के बाद एक 'स्टोर निर्गम दर' (एसआईआर) की गणना की गई। इस प्रकार गणना की गई एसआईआर को कार्य की लागत के पूंजीयन के उद्देश्य के लिए फिल्ड कार्यालयों/ कार्यों को जारी की गई सामग्री की लागत पर प्रभारित किया जाना था।

स्टोर्स मैनुअल में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार वास्तविक भण्डारण दर के अभाव में लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या कम्पनी द्वारा कार्यों पर भण्डारण की लागत अतिप्रभारित/ न्यूनप्रभारित की गई।

सरकार ने बताया कि कार्यों की प्रभारयोग्य लागत में भण्डारण की तीन प्रतिशत की दर को शामिल किया गया था। तथ्य यही रहा कि कम्पनी द्वारा भण्डारण पर किये गये वास्तविक व्यय के स्थान पर एक प्रमाप दर प्रभारित की गई।

सामग्री लेखांकन

2.18.3 स्टोर्स मैनुअल में भिन्न-भिन्न कार्यों एवं सामग्री के प्रकार के लिए सीओएस (कंट्रोल ऑवर स्टोर) फॉर्म के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से स्टोरकिपिंग, लेखांकन, एवं सामग्री नियंत्रण तंत्र निर्धारित था। एसीओएस एवं उपखण्ड भण्डारों को कुशल लेखांकन; निगरानी, नियंत्रण, एवं प्रभावकारी सूचना तंत्र के लिए इन सीओएस फॉर्म में सामग्री का अभिलेख रचना अनिवार्य है।

हमने देखा कि चुने गये एसीओएस द्वारा निर्धारित सीओएस फॉर्म में सभी स्वाताबहियों को संधारित नहीं किया गया था। आगे, नमूना जांच किये गये 21 उपखण्ड स्टोर्स पर अभिलेखों की समीक्षा से उजागर हुआ कि किसी भी स्टोर्स द्वारा निर्धारित सीओएस फॉर्म में अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया। एसीओएस एवं उपखण्ड स्टोर्स ने बाजार से बहियां खरीदी जो कि भिन्न-भिन्न प्रारूप में थी एवं प्रबंधन को आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं करायी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि प्रचलित परम्परानुसार प्रत्येक स्टोर पर सीओएस 12 एवं सीओएस 14 संधारित किये गये हैं। एसीओएस को ये विवरण संधारित करने के लिए कठोरतापूर्वक आदेश दिये जा चुके हैं। निर्धारित प्रारूप में एसीओएस तथा उपखण्डीय स्टोर्स द्वारा सभी बहियों को धारित नहीं करने के संबंध में उत्तर मौन था।

सामग्री का निरीक्षण एवं जांच

2.18.4 स्टोर्स मैनुअल के वाक्यांश 7.7 में प्रावधान है कि निरीक्षण प्राधिकारी क्रयादेश एवं अनुमोदित नमूनों यदि कोई हो, के संदर्भ में सामग्री का निरीक्षण करेगा एवं सत्यापित करेगा कि यह सामग्री विशिष्ट विवरणों के अनुरूप है। यदि इसका विवरण/जांच रिपोर्ट/ सामग्री अनुमोदित नमूनों अथवा विशिष्ट विवरणों से मेल नहीं खाते हैं तब इसको स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं रजिस्टर में फॉर्म सीओएस 9 में इस बात की प्रविष्टि की जायेगी। आपूर्तिकर्ता को भी इसके बारे में फॉर्म सीओएस 10 के माध्यम से सूचित किया जायेगा। आगे वाक्यांश 9.6 के अनुसार, विभिन्न क्रयाधिकारियों द्वारा फर्मों से प्राप्त नमूनों पर उचित रूप से लेबल लगाया जायेगा एवं नमूना रजिस्टर में फॉर्म सीओएस 25 में इसकी प्रविष्टि की जायेगी।

हमने देखा कि चयन किये गये चार एसीओएस में से तीन²⁹ एसीओएस द्वारा फॉर्म सीओएस 25 (जांच के लिए फर्मों से प्राप्त किये गये नमूने), एवं सीओएस 10 (नमूनों के फेल हो जाने की सूचना/ फर्मों को अस्वीकृति मिमो) में रजिस्टर संधारित नहीं किया गया। फॉर्म 25 एवं 10 के अभाव में, यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि क्या एसीओएस द्वारा सामग्री की अनिवार्य

29 जयपुर शहर वृत्त, जयपुर जिला वृत्त एवं अलवर

जांच की गयी थी एवं फेल हुए नमूनों को सामग्री में शामिल करने के स्थान पर आपूर्तिकर्ताओं को भेज दिया गया था।

सरकार ने बताया कि स्टोर्स मैनुअल के अनुसार सीओएस-9, 10 एवं 25 संधारित करने के लिए सभी स्टोर्स को आदेश जारी किये जा रहे थे।

सामग्री को जारी करना

2.18.5 स्टोर्स मैनुअल के वाक्यांश 8.2 में प्रावधान है कि संचालन एवं रखरखाव/पूंजीगत कार्यों के लिए स्वीकृत अनुमान/उप- अनुमान के विरुद्ध जारी किये गये कार्यादेश के लिए आवश्यक प्रत्येक वर्ग / सामग्री के प्रकार की अनुमानित मात्रा को फॉर्म सीओएस 16 में एक अनुमान कार्ड संधारित किया जायेगा। वाक्यांश 8.3 के अनुसार, स्टोर्स से जारी की जाने वाली समस्त सामग्री अनुमान कार्ड के साथ प्राप्त अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्टोर्स प्रार्थना-पत्र (सीओएस 17) कहे जाने वाले एक मांग-पत्र के आधार पर जारी की जानी चाहिए। मांग-पत्र जारी करने वाले अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि मांग-पत्र उचित वर्गीकरण के साथ सही ढंग से जारी किये गये थे एवं सामग्री का उपयोग मांग-पत्र एवं अनुमान कार्ड में दर्शाये गये वास्तविक कार्यों, जॉब इत्यादि पर किया गया था। साथ ही, संबंधित अधीक्षण अभियंता / अधिशाषी अभियंता सामग्री मांग पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के नाम के साथ उनके नमूना हस्ताक्षरों सहित एसीओएस को सूचित करेगा। भण्डारपाल ऐसे नमूना हस्ताक्षरों के संबंध में एक रजिस्टर संधारित करेगा एवं सामग्री जारी करने से पूर्व मांग-पत्र के साथ मिलान करेगा।

हमने देखा कि चयन किये गये सभी एसीओएस में उपखण्डों द्वारा प्रस्तुत किये गये मांग-पत्रों (सीओएस 17) पर कार्य पहचान मिमो का संदर्भ दर्ज नहीं था एवं सामग्री को अनुमान कार्ड प्रस्तुत किये बिना जारी कर दिया गया। साथ ही, संबंधित अधीक्षण अभियंता / अधिशाषी अभियंता द्वारा एसीओएस से सामग्री मांग पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के नाम एवं नमूना हस्ताक्षर के बारे में सूचित नहीं किया गया। एसीओएस द्वारा बिना यह सुनिश्चित किये कि मांग-पत्र अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किये गये थे, उपखण्डों/ कार्यों को सामग्री भी जारी कर दी गई। कोटा, जेपीडीसी एवं जेसीसी एसीओएस पर 234 स्टोर निर्गम नोट्स की नमूना जांच में उजागर हुआ कि 108 स्टोर निर्गम नोट्स पर सामग्री के प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं लिये गये, 47 नोट्स पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षरों को सत्यापित नहीं किया गया, एवं 57 नोट्स में सामग्री प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते थे।

सामग्री अभिलेखों का अनुचित संधारण

2.18.6 प्रबंध निदेशक द्वारा सामग्री के प्रबंध से संबंधित अभिलेख संधारित करने के लिए समय-समय पर जारी किये गये सुझावों की अनुपालना के लिए उपखण्डों को निर्देश जारी किये गये (नवम्बर 2016)। 21 उपखण्डों जिनके द्वारा चयन किये गये एसीओएस से सामग्री प्राप्त की गई, के अभिलेखों की नमूना जांच में निम्न विसंगतियां उजागर हुईं:

- चुने गये सभी उपखण्डों द्वारा प्रत्येक कार्यादेश के लिए कार्य पहचान मिमो के अनुसार जॉब कार्ड, निर्देशानुसार (26 फरवरी 2010) ट्रांसफॉर्मर मूवमेंट रजिस्टर, प्रत्येक जॉब के लिए फॉर्म सीओएस 16 में सामग्री अनुमान कार्ड संधारित नहीं किया गया

साथ ही, सभी चयनित उपखण्डों में कार्यों पर लगे हुए कनिष्ठ अभियंताओं एवं ठेकेदारों द्वारा 'कार्यस्थल पर सामग्री खाता' संधारित नहीं किया गया

- 15 उपखण्डों के कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा जारी किये गये हस्तलिखित मांग-पत्रों को सहायक अभियंताओं द्वारा अनुमोदन किया गया। यह केवल मुद्रित मांग-पत्रों के विरुद्ध सामग्री की मांग करने एवं जारी करने के आदेशों (जून 2014) के उल्लंघन में किया गया था। भण्डारपालों द्वारा भी निर्देशों का उल्लंघन किया गया एवं इन हस्तलिखित मांग-पत्रों के विरुद्ध सामग्री को जारी किया गया
- 19 उपखण्डों (चोमू ए1 एवं जेसीसी डी-III के अतिरिक्त) के कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा उपखण्डीय स्टोर्स से प्राप्त की गई सामग्री का रजिस्टर संधारित नहीं किया गया। साथ ही, सभी 21 उपखण्डों में कार्य पर लगे ठेकेदारों द्वारा भी सामग्री रजिस्टर संधारित नहीं किया गया
- पांच³⁰ उपखण्डों पर भण्डारपालों द्वारा निर्धारित प्रारूप में खराब हुए एवं बदले गये ट्रांसफॉर्मरस का अभिलेख संधारित नहीं किया गया। साथ ही, सभी चयनित 21 उपखण्ड स्टोर्स में से किसी ने भी जले हुए ट्रांसफॉर्मरस से निकाले गये ट्रांसफॉर्मर तेल का अभिलेख संधारित नहीं किया तथा
- सामग्री सत्यापनकर्त्ता ने बताया (नवम्बर 2016) कि इटावा उपखण्डीय स्टोर के सहायक अभियंता ने वर्ष 2013-14 के लिए या तो सामग्री रजिस्टर संधारित नहीं किया अथवा उसको खो दिया

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि डब्ल्यूआईएम संस्था के अभाव में कार्य पहचान मिमो (डब्ल्यूआईएम) के बिना कभी-कभी सामग्री को जारी कर दिया गया। तथापि, जारी की गई सामग्री को अंततः विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध कर लिया गया। आगे यह बताया गया कि ओएण्डएम अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर संबंधी अभिलेख संधारित करने के लिए, एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता अथवा ओएण्डएम अधिकारियों द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सामग्री सुपुर्द करने के लिए सभी एसीओएस को आदेश जारी किये जा रहे थे। फील्ड अधिकारियों को भी संबंधित अभिलेखों को संधारित करने के लिए आदेशित किया जा चुका है। साथ ही, सामग्री लेखे, मुद्रित मांग-पत्र, सामग्री रजिस्टर, ट्रांसफॉर्मर, एवं ट्रांसफॉर्मर तेल के अभिलेख संधारित करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही थी।

अपर्याप्त प्रलेखीकरण

2.18.7 गेट पास स्टोर्स से सामग्री की सुपुर्दगी लेने के लिए एक अधिकार पत्र है। यह कार्यों के लिए जारी की गई सामग्री के वास्तविक उपयोग को सुनिश्चित करता है जिसके लिए इसकी मांग की गई थी क्योंकि कनिष्ठ अभियंता मांग-पत्र एवं भण्डारपाल द्वारा जारी किये गये गेट पास के आधार पर सामग्री को अपनी अभिरक्षा में लेता है। साथ ही, गेट पास सामग्री नियंत्रण के एक टूल रूप में कार्य करता है क्योंकि यह आश्वासन प्रदान करता है कि वांछित सामग्री केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई थी।

30 कोटा ग्रामीण, इटावा, चेचट, दूदू एवं बस्सी।

कम्पनी द्वारा जारी किये गये (जून 2014) निर्देशानुसार भण्डारपालों द्वारा गेट पास को तीन प्रतियों में जारी किया जाना आवश्यक था। भण्डारपाल द्वारा एक प्रति को कार्यालय प्रति के रूप में अभिलेखों में रखा जाना था तथा एक-एक प्रति सामग्री के प्राप्तकर्ता एवं उपखण्ड के कनिष्ठ अभियंता जिसने सामग्री का मांग-पत्र जारी किया प्रत्येक को दी जानी थी। हमने देखा कि नमूना जांच के लिए चयनित 21 उपखण्डीय स्टोर्स में से 12 में भण्डारपालों द्वारा गेट पास की केवल दो प्रतियां जारी की गयी थी। लक्ष्मणगढ़ एवं डी-III मालवीयनगर उपखण्डीय स्टोर्स के भण्डारपाल द्वारा गेट पास की दोनों प्रतियां अपने पास रखी गयी थी।

गेट पास की प्रतियों के अभाव में, उपखण्डों पर कनिष्ठ अभियंता द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या मांगी गई सामग्री की आवश्यक मात्राएं अधिकृत व्यक्तियों द्वारा उठायी गयी थी क्योंकि उनके द्वारा सामग्री रजिस्टर भी संधारित नहीं किये गये थे।

मालाखेड़ा उपखण्डीय भण्डार पर, एक दृष्टान्त के रूप में, हमने पाया कि 2012-17 के दौरान भण्डारपाल द्वारा 2,677 ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर की प्राप्ति एवं कनिष्ठ अभियंताओं को जारी करना बताया गया। सामग्री की स्थिति में, इस प्रकार, ड्रॉप आउट फ्यूज के साथ आइसोलेटर्स की शून्य सामग्री को इंगित किया। भण्डारपाल ने 2,677 ड्रॉप आउट फ्यूज को जारी करना दर्शाते हुए गेट पास की कार्यालय प्रतियां भी संधारित की। सहायक अभियंता द्वारा, तथापि, इसकी पुष्टि की गई कि 852 ड्रॉप आउट फ्यूज भण्डार में पड़े हुए थे। उपखण्डीय भण्डार के भौतिक सत्यापन के द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई कि 852 इकाइयां भण्डार में पड़ी हुई थी। यह जाली गेट पास जारी होना दर्शाता है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि इसकी कड़ी अनुपालना करने के लिए जोनल सीई (ओएण्डएम जयपुर जोन) द्वारा उचित आदेश जारी किये जा चुके हैं। उत्तर, तथापि, मालाखेड़ा एवं लक्ष्मणगढ़ उपखण्डीय स्टोर्स में देखी गयी कमियों के बारे में मौन था।

वेब आधारित स्टोर्स एवं सामग्री प्रबंध तंत्र का क्रियान्वयन

2.18.8 कम्पनी द्वारा सभी वृत्त कार्यालयों एवं एसीओएस में वेब आधारित स्टोर्स एवं सामग्री प्रबंध तंत्र को विकसित करने के लिए ₹ 45.14 लाख की लागत पर स्पांको टेलीसिस्टमस एण्ड सोल्युशंस लिमिटेड (ठेकेदार) को एक कार्यदेश जारी किया गया (अक्टूबर 2007)। कार्य का प्राथमिक उद्देश्य सूचना उपलब्ध कराने तथा विभिन्न प्रापण एवं सामग्री संबंधी कार्यों के नियोजन, डीजाइनिंग, निगरानी, संचालन एवं नियंत्रण के लिए एक विस्तृत तंत्र के माध्यम से अनुमोदन संबंधी क्रियाविधियों में लगने वाले समय को कम करना था। फैंक्ट्री स्वीकृति परीक्षण किया गया (16 अक्टूबर 2008) जिसमें सॉफ्टवेयर को सही पाया गया था।

कम्पनी द्वारा सभी फिल्ड कार्यालयों को 1 नवम्बर 2009 से सिस्टम के माध्यम से चालान एवं गेट पास उत्पन्न करने के लिए आदेशित किया गया (अक्टूबर 2009) अन्यथा नामित प्राधिकारियों द्वारा बिलों के भुगतान पर विचार नहीं किया जाना था। साथ ही, सामग्री की प्राप्ति के लिए जारी किये गये समस्त मांग-पत्र भी सिस्टम के माध्यम से उत्पन्न किये जाने थे।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा भी टैरिफ आदेश का अनुमोदन करते हुए (6 जून 2013) कम्पनी को सामग्री का कुशल प्रबंध करने एवं अनावश्यक प्रापण से बचने को सुनिश्चित करने के लिए सामग्री प्रबंध सॉफ्टवेयर के त्वरित क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया गया (25 सितम्बर 2013)।

हमने देखा कि सॉफ्टवेयर में समस्याओं के कारण सॉफ्टवेयर के सभी मोड्यूल पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहे थे। सॉफ्टवेयर केवल चालान एवं मांग-पत्र उत्पन्न करने के योग्य थे। कम्पनी द्वारा संचालन एवं रखरखाव (ओएण्डएम) का अनुबंध वेलियम टैक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर (फर्म) को प्रदान किया गया (अप्रैल 2014) लेकिन फर्म समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी एवं सॉफ्टवेयर को चालू नहीं कर सकी (अगस्त 2016)। साथ ही, आधारभूत संरचना के अभाव, सॉफ्टवेयर के बारे में ज्ञान के अभाव, मानवशक्ति की कमी, एवं इंटरनेट की धीमी गति के कारण फिल्ट कार्यालय सॉफ्टवेयर को उपयोग में लेने की स्थिति में नहीं थे। फर्म का ओएण्डएम अनुबंध की अवधि अगस्त 2016 के बाद नहीं बढ़ायी गयी थी।

सरकार ने बताया कि आईएण्डएस विंग द्वारा विभिन्न बग्स / विसंगतियां देखी गयी एवं समय-समय पर अधीक्षण अभियंता (आईटी) को सूचित की गयी थी।

एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स का भौतिक सत्यापन

2.18.9 स्टोर्स मैनुअल का वाक्यांश 11.2 मुख्य लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण) के नियंत्रणाधीन कार्यरत सामग्री सत्यापनकर्त्ता द्वारा एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स पर सामग्री के वार्षिक सत्यापन को नियत करता है।

मार्च 2017 के अंत में कम्पनी के 13 एसीओएस, बहरोड़ में एक उप-भण्डार एवं 195 उपखण्डीय स्टोर्स हैं। हमने देखा कि कम्पनी द्वारा 2012-13 से 2016-17 के दौरान एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स पर सामग्री का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। एसीओएस की 37 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स की समीक्षा से खुलासा हुआ कि भौतिक सत्यापन के अन्तर्गत सम्मिलित की गई समयावधि 12 माह एवं 51 माह के बीच थी। इसी प्रकार, 2012-13 से 2016-17 के दौरान 21 नमूना जांच किये गये उपखण्डीय स्टोर्स की 34 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स की समीक्षा से उजागर हुआ कि भौतिक सत्यापन के अन्तर्गत सम्मिलित की गई समयावधि 16 माह एवं 57 माह के बीच थी।

कम्पनी द्वारा एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया जैसा कि स्टोर्स मैनुअल के अन्तर्गत आवश्यक था। कम्पनी, इस प्रकार, स्टोर्स पर स्थित सामग्री की कमी/ आधिक्य का समय पर पता लगाने की स्थिति में नहीं थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि स्टाफ की कमी के कारण सभी भण्डारों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। तथापि, स्थिति को सुधारने के लिए सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे थे।

भौतिक सत्यापन के दौरान सामग्री की मदों का अपर्याप्त समाहन

2.18.10 भौतिक सत्यापन शुरू करने से पूर्व भण्डार सत्यापनकर्त्ता, भण्डार की सभी मदों को सम्मिलित करने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मानव शक्ति की व्यवस्था करने के लिए संबंधित एसीओएस/ उपखण्डीय भण्डार से अनुरोध करता है। स्टोर्स मैनुअल के वाक्यांश 11.1 में प्रावधान था कि भण्डारपाल/ एसीओएस द्वारा सामग्री का यादृच्छिक भौतिक सत्यापन आवधिक रूप से इस तरह से किया जायेगा कि बिन की समस्त चीजें एक वर्ष में कम से कम तीन बार जांची जा सके एवं स्टोर्स मात्रा बहियों में शेष के साथ इसका मिलान किया जा सके। अध्यक्ष (डिस्कॉम्स) द्वारा भी एसीओएस/ स्टोर्स अधीक्षक (एसएस) को कंडक्टर

ड्रम्स, केबल ड्रम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मरस, ट्रांसफॉर्मर तेल के ड्रम्स, सीटीपीटी सेट इत्यादि जैसी उच्च मूल्य वाली मदों के संबंध में स्टोर्स के आंतरिक भौतिक सत्यापन करने के लिए आदेशित किया गया (1 सितम्बर 2016)। आदेशानुसार प्रत्येक माह यादृच्छिक रूप से चयनित भण्डार की कम से कम पांच अन्य मदों को एसीओएस/एसएस द्वारा भी भौतिक रूप से सत्यापित किया जाना आवश्यक था।

हमने देखा कि अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) एवं अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) द्वारा एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स के भौतिक सत्यापन करने के लिए भण्डार सत्यापनकर्त्ताओं को पर्याप्त मानवशक्ति उपलब्ध नहीं कराई गई। परिणामस्वरूप, भण्डार सत्यापनकर्त्ता स्टोर्स की सभी मदों पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सके। भण्डार सत्यापनकर्त्ताओं द्वारा 2012-17 के दौरान किये गये 37 भौतिक सत्यापनों (एसीओएस) में से 31 के दौरान 6.17 प्रतिशत एवं 53.06 प्रतिशत मदों को सम्मिलित नहीं किया जा सका। शेष छह भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स में या तो कुल मदों की संख्या को नहीं दर्शाया गया था अथवा मदों को भौतिक सत्यापन में सम्मिलित नहीं किया गया था।

साथ ही, चयनित चार एसीओएस में से किसी के द्वारा भी 2012-17 के दौरान स्टोर्स मैनुअल के अनुसार निर्धारित आवधिकता में भण्डार का आंतरिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। तथापि, एक एसीओएस (जयपुर जिला वृत्त) द्वारा मार्च 2017 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान पांच निरीक्षण किये गये। साथ ही, 21 नमूना जांच किये गये उपखण्डीय स्टोर्स में भण्डारपालों/सहायक अभियंताओं में से किसी के द्वारा भी सामग्री का यादृच्छिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। एसीओएस द्वारा भी अध्यक्ष (डिस्कॉम्स) के आदेशों की अनुपालना नहीं की गई एवं केवल सीमित मदों के संबंध में सत्यापन किया गया। कोटा एसीओएस द्वारा भिन्न-भिन्न मदों के रूप में एक मद की विभिन्न रेटिंग्स मानते हुए सत्यापन को एक माह के दौरान एक मद तक सीमित कर दिया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि स्टोर्स की भारी संख्या के कारण भौतिक सत्यापन में सभी मदों को सम्मिलित करना भण्डार सत्यापनकर्त्ताओं के लिए संभव नहीं था। तथापि, सुधारात्मक उपाय किये जा रहे थे। इसके साथ ही, भण्डार के निरीक्षण के दौरान सामग्री की यादृच्छिक आवधिक जांच को अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा निरपवाद रूप से सत्यापित कर दिया जायेगा।

उपखण्डीय भण्डारों पर निगरानी का अभाव

2.18.11 प्रबंध निदेशक द्वारा परिपत्र/ दिशा-निर्देश जारी किये गये (मई 2006) जिसमें प्रावधान था कि अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) को उपखण्डों द्वारा 30 दिनों के भीतर सामग्री को उपयोग में नहीं लाने के कारण एवं सामग्री उपयोग में नहीं लेने के लिए की गयी कार्यवाही के बारे में विशेष रूप से बताना आवश्यक था। जोनल मुख्य अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता (एमएम) को सामग्री की सुपुर्दगी की आवश्यकता/ स्थगन के लिए आदेश जारी करने भी आवश्यक थे।

हमने देखा कि उपखण्डीय स्टोर के सहायक अभियंता, सहायक राजस्व अधिकारी एवं भण्डारपाल की समिति द्वारा 2012-13 के बाद अधीशाषी अभियंता (ओएण्डएम) एवं लेखाधिकारी को सामग्री के प्रत्यक्ष शेषों की नियमित रिपोर्ट्स प्रस्तुत नहीं की गई। समिति द्वारा

2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान कभी कभी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गईं लेकिन रिपोर्ट्स में स्टोर्स पर पड़ी सामग्री की आवधिकता को नहीं दर्शाया गया था। अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) दिशा-निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने में विफल हुआ एवं दोषी सहायक अभियंताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे जोनल मुख्य अभियंता द्वारा सामग्री की आवश्यकता के अनुचित निर्धारण को बढ़ावा मिला। परिणामस्वरूप, उपस्वण्डीय स्टोर्स के पास पड़ी हुई सामग्री के प्रत्यक्ष शेषों पर ध्यान दिये बिना ही मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण किया गया जिससे आवश्यकता से अधिक सामग्री के क्रय को बढ़ावा मिला।

हमने आगे देखा कि अधीशाषी अभियंता (ओएण्डएम) द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अधीन कम से कम एक उपस्वण्डीय भण्डार का मासिक निरीक्षण करना तथा अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) एवं मुख्य लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण) को रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक था। तथापि, संबंधित अधीशाषी अभियंताओं द्वारा आवश्यक निरीक्षण नहीं किये गये। प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के अभाव से उपस्वण्डीय स्टोर्स द्वारा आदेशों की अवहेलना को भी बढ़ावा मिला।

इस प्रकार, विभिन्न स्तरों पर प्राधिकारी उपस्वण्डीय स्टोर्स के पास पड़ी हुई सामग्री की निगरानी एवं नियंत्रण करने में विफल रहे। उपस्वण्डीय स्टोर्स के पास पड़ी हुई सामग्री की अनुचित निगरानी एवं नियंत्रण द्वारा सामग्री अप्रचलन के जोखिम को बढ़ावा मिला। चयनित एसीओएस के अधीन उपस्वण्डीय स्टोर्स की भौतिक सत्यापन की 34 रिपोर्ट्स में 2012-17 के दौरान अवशिष्ट/ अनुपयोगी मर्दों का मूल्य ₹ 1.22 करोड़ के रूप में आंका गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि जोनल मुख्य अभियंता (ओएण्डएम, जयपुर जोन) द्वारा सभी अधीक्षण अभियंताओं को आदेशों की कड़ी अनुपालना के लिए उचित आदेश जारी किये जा चुके हैं।

निष्क्रिय सामग्री

टर्नकी ठेकेदारों से अधिशेष सामग्री को स्वीकार करने के कारण निष्क्रिय सामग्री

2.19 कम्पनी द्वारा विभिन्न टर्नकी कार्य प्रदान किये गये जिनमें ठेकेदारों द्वारा बिल ऑफ क्वांटिटी के अनुसार सामग्री की आपूर्ति की गई एवं कार्यादेशानुसार परियोजना को चालू कर दिया गया। डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा विभिन्न टर्नकी कार्यों के अधीन कार्यरत ठेकेदारों से अधिशेष /अप्रयुक्त सामग्री को स्वीकार करने के लिए आदेशित किया गया (फरवरी 2009) बशर्ते कि सामग्री सही हालत में थी एवं सीटीएल में सफलतापूर्वक जांच ली गई हो। डिस्कॉम्स कॉर्डिनेशन फॉर्म (डीसीएफ) ने टर्नकी ठेकेदारों द्वारा कम जमा करायी गयी सामग्री के लिए वसूली एवं जमा कराई गई अधिशेष सामग्री के लिए भुगतान की दरें निर्धारित की (31 अगस्त 2010)।

27 टर्नकी कार्यादेशों, जिनका समापन 2012-17 के दौरान हुआ, की समीक्षा से उजागर हुआ कि विभिन्न टर्नकी ठेकेदारों से कम्पनी द्वारा स्वीकार की गई अधिकांश सामग्री अप्रयुक्त रही। कुछ मामलों में जहां कम्पनी द्वारा टर्नकी ठेकेदारों से केबल, मीटर प्रोटेक्शन बॉक्स, गल्वैनाइज्ड आयरन वायरर्स, स्विच फ्यूज यूनीट्स इत्यादि जैसी सामग्री स्वीकार की गई जो कि आवश्यक नहीं थी, की चर्चा **अनुबंध-4** में की गई है। ये मामले प्रकाश डालते हैं कि कम्पनी

द्वारा टर्नकी ठेकेदारों से ₹ 8.18 करोड़ की अधिशेष सामग्री स्वीकार की जो आदेशों के अभाव, सीएलपीसी द्वारा अनुबंधों के समापन में देरी, तकनीक में परिवर्तन इत्यादि के कारण भण्डार में अप्रयुक्त पड़ी रही।

निकासी सभा के दौरान, कम्पनी के प्रबंधन ने बताया कि किसी विवाद की स्थिति से बचने के लिए ठेकेदारों के भुगतान के निस्तारण के बाद ही सामग्री उपयोग में लाई गई थी। प्रबंधन इस बात पर सहमत था कि सामग्री का उपयोग शीघ्रतापूर्वक कर लेना चाहिए। सरकार की राय थी कि कम्पनी द्वारा टर्नकी ठेकेदारों से अधिशेष सामग्री को स्वीकार नहीं करना चाहिए था अथवा स्वीकार की गई सामग्री का उपयोग जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए था।

सामग्री के अनावश्यक प्रापण के कारण निष्क्रिय सामग्री

2.20 ₹ 49.90 करोड़ मूल्य वाली सामग्री के अनावश्यक क्रय पर प्रकाश डालते हुए दो केस स्टडीज की संक्षिप्त चर्चा नीचे की गई हैं।

अविवेकपूर्ण क्रय के कारण ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स का उपयोग नहीं होना

2.20.1 कम्पनी द्वारा ₹ 1,067.64 प्रति इकाई (2,20,700) एवं ₹ 1,443 प्रति इकाई (1,66,000) की दर पर 3,86,700 ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स सैटस की आपूर्ति के लिए क्रयादेश/ अतिरिक्त क्रयादेश जारी किये गये (अगस्त 2008 से मार्च 2009)।

डिस्कॉम्स के अध्यक्ष ने फिल्ड कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट्स, जिनमें कि कुछ उपद्रवियों द्वारा वितरण ट्रांसफॉर्मरस को आइसोलेट करने के लिए इस मद को इस्तेमाल करने एवं तेल एवं कॉपर वाइंडिंग्स की चोरी का प्रयास करने, के आधार पर ड्रॉप आउट फ्यूज कम इंसूलेटर सैटस की शेष आपूर्तियों को स्थगित करने के लिए आदेश दिया (21 सितम्बर 2009)। अध्यक्ष ने ग्रामीण लाइनों पर आइसोलेटर्स को प्रयुक्त नहीं करने के लिए भी निर्देशित किया क्योंकि ब्लॉक घण्टों के अतिरिक्त बिजली का उपयोग करने के लिए वितरण ट्रांसफॉर्मरस पर लगे हुए आइसोलेटर्स को सिंगल फेज आपूर्ति से थ्री फेज आपूर्ति में बदलने के लिए प्रयुक्त किये जा रहे थे।

फर्म ने 1,95,200 आइसोलेटर्स की आपूर्ति कर दी थी एवं स्थगन की तिथि तक 27,100 आइसोलेटर्स निरीक्षणार्थीन थे। अधीक्षण अभियंता (क्रय) ने 1,64,400 आइसोलेटर्स की आपूर्तियों के स्थगन के लिए आदेश जारी किये (25 सितम्बर 2009)। तथापि, सीएलपीसी ने 1,42,900 आइसोलेटर्स के लिए आदेश निरस्त करने का निश्चय किया (6 जनवरी 2011)। इसी बीच, सीएलपीसी द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी करने में देरी के कारण स्थगन के उपरांत भी कम्पनी ने 21,500 आइसोलेटर्स क्रय किये। कम्पनी ने, इस प्रकार, फर्म से 2,43,800 आइसोलेटर्स क्रय किये।

मार्च 2017 को, ₹ 3.08 करोड़ मूल्य के 28,852 ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स सैटस एसीओएस के पास पड़े हुए थे। शेष मात्राएं उपखण्डीय स्टोर्स को जारी की गई थी। जारी की गई मात्राओं में भी ₹ 4.55 करोड़ मूल्य के 42,660 सैटस भी शामिल थे जो एसीओएस द्वारा जारी किये गये थे (31 जनवरी 2015 के बाद) लेकिन सामग्री उपखण्डीय स्टोर्स पर प्राप्त हुई नहीं पाई गई। अधीक्षण अभियंता (क्रय) ने गायब हुए आइसोलेटर्स के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) को कहा (10 मई

2016) लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई (मई 2017)। कम्पनी के पास उपखण्डों द्वारा स्थापित किये गये एवं उपखण्डीय स्टोर्स पर पड़े हुए ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं थी। सीएलपीसी ने सामग्री को कम करने के लिए स्टॉक में उपलब्ध 11 केवी ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स को उपयोग में लाने के लिए सभी कदम उठाने का निश्चय किया (24 फरवरी 2016)।

हमने देखा कि तकनीकी समिति की सिफारिशों (अगस्त 2007) पर ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स का प्रथम बार क्रय किया गया था। ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स ने 11 केवी सिंगल फेज स्वीच फ्यूज को प्रयुक्त करने वाली विद्यमान प्रणाली का स्थान लिया। तकनीकी समिति ने ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स के क्रय की सिफारिश करते समय विद्यमान वितरण प्रणाली के साथ इनकी उपयुक्तता का निर्धारण नहीं किया जिसके परिणामतः वितरण ट्रांसफॉर्मर्स से विद्युत, ट्रांसफॉर्मर तेल एवं कॉपर वाइंडिंग्स की चोरी हुई।

साथ ही, कम्पनी ने नई सामग्री के कार्य निष्पादन की प्रतिक्षा नहीं की एवं वास्तविक फिल्ड आवश्यकताओं को निर्धारित किये बिना ही पिछली एल-1 दर (₹ 1,067.64 प्रति इकाई) के स्थान पर उच्च दर (₹ 1,443 प्रति इकाई) पर बढ़ाई गई मात्रा के लिए क्रयादेश जारी किये। डिस्कॉम्स के अध्यक्ष के आदेशों के उल्लंघन में एसीओएस ने ग्रामीण लाइनों पर संस्थापन के लिए फिल्ड कार्यालयों को सामग्री जारी की जिसने विद्युत की चोरी के लिए उपद्रवियों को अवसर प्रदान किया। ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स को उपयोग में लाने के लिए सभी कदम उठाने के लिए सीएलपीसी का निर्णय (24 फरवरी 2016) अक्टूबर 2016 से हानि में कमी कार्यक्रम, जिसमें स्थापित किये गये ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स को हटाना सम्मिलित था, के क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से तार्किक नहीं था। साथ ही, कम्पनी ने यहां तक कि आइसोलेटर्स के गायब हो जाने पर कोई जांच एवं शिकायत दर्ज नहीं की।

कम्पनी ने, इस प्रकार, ₹ 31.95 करोड़ मूल्य वाले ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स का अविवेकपूर्ण क्रय किया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि टीएन 4185 के बाद आइसोलेटर्स क्रय नहीं किये गये। समापन सभा के दौरान प्रबंधन ने भी बताया कि आइसोलेटर्स के क्रय के बाद यह देखा गया कि विद्युत की चोरी के लिए आइसोलेटर्स का दुरुपयोग किया जा रहा था। इस प्रकार, कम्पनी ने आइसोलेटर्स को आगे और अधिक क्रय नहीं करने का निर्णय किया एवं सामग्री को शहरी क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा रहा था जहां इनके दुरुपयोग की संभावना नहीं थी। सरकार/कम्पनी ने, तथापि, गायब हुए आइसोलेटर्स के लिए कारण उपलब्ध नहीं कराये।

मल्टी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज का बल्क में क्रय करना

2.20.2 जोनल मुख्य अभियंता (जयपुर जोन) ने जिला मुख्यालयों एवं नगरपालिका कस्बों के लिए 6,200 स्प्रिंग लोडेड सिंगल फेज एवं 9,300 श्री फेज मल्टी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज की आवश्यकता प्रस्तुत की (28 अप्रैल 2006)। तकनीकी समिति ने मल्टी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज के प्रथम बार क्रय की दृष्टि से सिंगल फेज एवं श्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज की एक ट्रायल मात्रा के लिए क्रय करने का निश्चय किया (अप्रैल 2008)। ट्रायल मात्रा की संतोषजनक निष्पादन के बाद मल्टी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज की एक साथ बड़ी मात्रा क्रय की जानी थी।

सीएलपीसी ने, तथापि, सम्पूर्ण कम्पनी के लिए एक ही क्रयादेश देने का निश्चय किया (10 दिसम्बर 2008)। 27,440 सिंगल फेज एवं 15,330 श्री फेज मल्टी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज की आपूर्ति के लिए इकलौती फर्म (दिल्ली कंट्रोल डीवाइसेज) को क्रमशः ₹ 2,189 एवं ₹ 5,175.72 प्रति इकाई पर क्रयादेश दिया (दिसम्बर 2008)। कम्पनी के लिए प्रथम बार आपूर्तिकर्ता होने के कारण अन्य तीन निविदादाताओं को एक समान दरों पर सिंगल फेज एवं श्री फेज मल्टी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज दोनों के लिए निविदा मात्रा का 10 प्रतिशत आवंटित किया। फर्म ने क्रयादेश को जारी करने की तिथि से चार माह की अनुसूचित सुपुर्दगी अवधि में आदेशित मात्रा की आपूर्ति कर दी थी।

सिंगल फेज (25 अगस्त 2009) एवं श्री फेज बॉक्सेज (15 सितम्बर 2009) के लिए तीनों निविदादाताओं के नमूने समिति द्वारा अनुमोदित किये गये। कम्पनी ने तथापि, स्टॉक स्थिति (15 सितम्बर 2009 को 26,790 सिंगल फेज एवं 14,600 श्री फेज बॉक्सेज) एवं सामग्री के कम उपयोग की दृष्टि से आपूर्तियों (9,360 सिंगल फेज एवं 6,570 श्री फेज बॉक्सेज) पर स्थगन लगा दिया (6 अक्टूबर 2009)। फर्मों ने स्थगित की गई मात्रा को भी उठाने के लिए कम्पनी को निवेदन किया (22 मार्च 2011) क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से कम्पनी के लिए इस उत्पाद का निर्माण किया था। विस्तृत विचार-विमर्श एवं चर्चाओं के बाद, सीएलपीसी ने स्थगन को हटाने एवं आर-एपीडीआरपी भाग बी कार्यों के लिए बॉक्सेज को प्रयुक्त करने का निश्चय किया (29 नवम्बर 2012)।

मुख्य लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण) की रिपोर्ट के अनुसार, 31 जनवरी 2015 को एसीओएस में 6,282 सिंगल फेस (₹ 1.37 करोड़) एवं 4,063 श्री फेस (₹ 2.10 करोड़) डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज का स्टॉक पड़ा हुआ था। साथ ही, उपखण्डीय स्टोर्स में 7,759 सिंगल फेस (₹ 1.70 करोड़) एवं 3,753 श्री फेस (₹ 1.94 करोड़) डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज का स्टॉक भी पड़ा हुआ था। मुख्य लेखाधिकारी ने यह भी रिपोर्ट किया कि 17,749 सिंगल फेस (₹ 3.89 करोड़) एवं 3,767 श्री फेस (₹ 1.95 करोड़) बॉक्सेज एसीओएस से प्रेषित किये गये थे लेकिन उपखण्डीय स्टोर्स द्वारा प्राप्त नहीं किये गये। अधीक्षण अभियंता (क्रय) ने जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) को कहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। स्टॉक की बड़ी मात्रा को देखते हुए, सीएलपीसी ने श्री फेज बॉक्सेज की लम्बित मात्रा (3,789) के लिए क्रयादेशों को निरस्त करने का निश्चय किया (फरवरी 2016)।

हमने देखा कि कम्पनी द्वारा 39,200 सिंगल फेस (₹ 8.58 करोड़) एवं 18,111 श्री फेस (₹ 9.37 करोड़) मल्टी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज क्रय किये गये। मार्च 2017 को एसीओएस के पास 416 सिंगल फेस एवं 353 श्री फेस बॉक्सेज पड़े हुए थे एवं शेष बॉक्सेज उपखण्डीय स्टोर्स को जारी किये गये थे। स्थापित किये गये एवं स्टोर्स पर पड़े हुए बॉक्सेज की संख्या कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थी। तथापि, चयनित एसीओएस के अधीन 21 उपखण्डीय स्टोर्स के अभिलेखों की नमूना जांच में उजागर हुआ कि 31 मार्च 2017 को 525 (सिंगल फेस) एवं 783 (श्री फेस) बॉक्सेज का शेष था। साथ ही, कनिष्ठ अभियंता, चौमू-ए-1 को जारी किये गये (2009-10) 230 सिंगल फेस एवं 50 श्री फेस बॉक्सेज 31 मार्च 2017 को अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

इस प्रकार, केवल ट्रायल मात्राओं के क्रय की सिफारिशों के विरुद्ध सीएलपीसी द्वारा बड़ी मात्राओं का क्रय किया जाना एवं फिल्ड कार्यालयों द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज का उपयोग नहीं करना ₹ 17.95 करोड़ के मूल्य की सामग्री का अनावश्यक क्रय को दर्शाता है। साथ ही, कम्पनी ने गायब हुए बॉक्सेज के मामले की जांच नहीं की एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

सरकार ने बताया कि फिल्ड एवं टीडब्ल्यू कार्यों में अत्यावश्यकता के कारण एनआईटी मात्रा क्रय की गई एवं सम्पूर्ण मात्रा को प्रयुक्त कर लिया गया। सरकार ने, तथापि, सामग्री के उपयोग के समर्थन में कोई प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया। साथ ही, गायब हुए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज एवं सामग्री के उपखण्डीय स्टोर्स पर पड़े होने के मामले में उत्तर मौन था।

अतिरिक्त प्रापण के कारण सामग्री का निष्क्रिय होना

2.21 एसीओएस, उपखण्डीय भण्डारों पर अभिलेखों एवं एसीओएस/उपखण्डीय भण्डारों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की समीक्षा से खुलासा हुआ कि फिल्ड कार्यालयों से मांग के अभाव के कारण विभिन्न प्रकार की सामग्री अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। यह दर्शाता है कि सामग्री आवश्यकता से अधिक क्रय की गई थी। कमजोर सामग्री प्रबंधन के परिणामतः सामग्री के अधिक क्रय को इंगित करने वाले कुछ प्रतिक्रमिक मामलों में ₹ 10.49 करोड़ के कोष अवरुद्ध हुए जिनकी चर्चा अनुबंध-5 में की गई है।

सामग्री का भण्डारण

2.22 सामग्री के अनुचित रखरखाव के कारण सामग्री की छीजत एवं चोरी के मद्देनजर एसीओएस एवं उपखण्डीय भण्डारों पर सामग्री के उचित भण्डारण के लिए अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा आदेश जारी किये गये (सितम्बर 2014)। अन्य बातों के साथ-साथ आदेशों में प्रावधान था कि समान प्रकार की सामग्री को एक स्थान पर रखा जाये, स्टील सामग्री, सब-स्टेशनों के सैट, जीआई वायरस की स्टेकिंग इस तरह करनी चाहिए कि जारी करने एवं भौतिक सत्यापन के समय इनको गिना जा सके, मीटर्स, कॉपर अवशिष्ट इत्यादि को कमरे के अंदर रखना चाहिए, गारण्टी अवधि के अधीन सम्मिलित मदों के मामले में विशेष रूप से सामग्री को 'प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन' के आधार पर जारी किया जाना चाहिए, निर्माण की अवधि, आपूर्तिकर्ता के नाम को इंगित करते हुए गारण्टी अवधि के अधीन सम्मिलित मीटरों, सीटीपीटी एवं ट्रांसफॉर्मरस के निविदानुसार अभिलेख रखने चाहिए एवं लोडिंग एवं स्टेकिंग भी तदनुसार करना चाहिए, बार्ब वायर फेंसिंग एवं उचित रोशनी के माध्यम से इंडोर एवं आउटडोर सामग्री के लिए उच्च सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

चयनित चार एसीओएस तथा 21 उपखण्डीय स्टोर्स पर कार्यस्थल निरीक्षण द्वारा उजागर हुआ कि सामग्री को निर्धारित आदेशानुसार स्टेकिंग एवं उसका रखरखाव नहीं किया गया था। सामग्री अस्त-व्यस्त तरीके से बिखरी हुई थी। सामग्री के अनुचित भण्डारण के कारण सामग्री के सत्यापन नहीं होने के बारे में इन स्टोर्स की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स में भी दर्शाया गया था। कार्यस्थल निरीक्षण द्वारा यह भी उजागर किया गया कि स्वराब ट्रांसफॉर्मरस एवं मीटर्स एक ढेर में पड़े हुए थे जो कि स्टोर्स का एक बड़ा भाग था।

सामग्री के अनुचित भण्डारण के कारण सामग्री की कमी एवं आधिक्य रहा जैसा कि सामग्री सत्यापनकर्त्ताओं द्वारा उनकी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स में इसको इंगित किया गया था। इसके कारण एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स पर चोरी, आगजनी एवं गबन की घटनाएं भी घटित हुईं।



जेपीडीसी एसीओएस पर ढेर में पड़े हुए खराब ट्रांसफॉर्मरस



जेपीडीसी एसीओएस पर पड़ी हुई नई केबल्स एवं अवशिष्ट कंडक्टर

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि सभी एसीओएस/ उपखण्डीय स्टोर्स के साथ उनके स्टोर्स में सामग्री की उचित स्टेकिंग के लिए नियमित अनुसरण किया जा रहा था।

सामग्री की कमी एवं आधिक्य

2.22.1 भण्डार लेखांकन के उद्देश्य के लिए स्टोर्स निर्गम एवं स्टोर्स प्राप्ति रसीद नोट्स के माध्यम से क्रमशः सामग्री की कमी एवं उसके आधिक्य के लिए समायोजन करने आवश्यक हैं। तथापि, संबंधित सहायक अभियंताओं/ सहायक भण्डारपालों द्वारा सामग्री की ऐसी कमी एवं उसके आधिक्य के लिए उचित औचित्य प्रस्तुत किया जाना है। साथ ही, अधीक्षण अभियंता

(आई एण्ड एस) द्वारा सामग्री की कमी एवं उसके आधिक्य के कारणों की जांच करना तथा सामग्री की कमी के कारण हुई हानि को अपलिखित करने के लिए स्वीकृति जारी करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स में इंगित सामग्री की कमी/ आधिक्य को एक माह की अवधि में तथा कम से कम वित्तीय वर्ष के समापन पर समायोजित एवं ठीक करना आवश्यक है।

मार्च 2017 के अंत तक, सभी एसीओएस की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स में ₹ 2.28 करोड़ की असमायोजित कमी एवं ₹ 2.61 करोड़ के आधिक्य को इंगित किया गया। साथ ही, 2012-17 के दौरान, चयनित एसीओएस के अधीन 21 उपखण्डीय स्टोर्स की 34 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स में ₹ 0.77 करोड़ की कमी एवं ₹ 1.09 करोड़ का आधिक्य उजागर हुआ। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा, तथापि, स्टोर्स में सामग्री की ऐसी कमी एवं आधिक्य के कारणों की जांच नहीं की गई।

हमने देखा कि कम्पनी के स्टोर्स में सामग्री की कमी एवं आधिक्य की जांच वित्तीय वर्ष 1997-98 से लम्बित थी।

स्टोर्स में सामग्री की कमी एवं आधिक्य इंगित करता है कि बिना उचित प्रलेखीकरण एवं लेखांकन के सामग्री की आवक/जावक को दर्ज किया गया। उचित प्रलेखीकरण एवं लेखांकन के अभाव में सामग्री की चोरी एवं दुरुपयोग की संभावनाओं को भी स्वारिज नहीं किया जा सकता।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कोटा, जेपीडीसी एवं भरतपुर एसीओएस में आधिक्य एवं कमी को ठीक कर दिया जा चुका है।

चोरी, आगजनी एवं गबन के कारण सामग्री की हानि

2.23 स्टोर्स मैनुअल में प्रावधान था कि सामग्री की हानि के सभी मामलों को एसीओएस/अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) एवं सीएओ (आंतरिक अंकेक्षण) को तुरंत रिपोर्ट किया जायेगा एवं जांच की जायेगी तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार उनका निपटारा किया जायेगा। एसीओएस पर सहायक अभियंता द्वारा प्रारम्भिक जांच करना; पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराना; बीमा एजेंसी से हानि की पूर्ति के लिए दावा करना; एवं प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट, एफआईआर की प्रति एवं बीमा कम्पनी के पास दर्ज किये गये दावे की प्रति के साथ अधीक्षण अभियंता (आई एण्ड एस) को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक था। जांच रिपोर्ट के आधार पर अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा भी विस्तृत जांच का आदेश देना एवं कार्यवाही करना आवश्यक था।

2012-17 के दौरान सभी एसीओएस पर ₹ 1.56 करोड़ मूल्य की चोरी एवं कमी के 14 मामलों के बारे में अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई। विभिन्न स्तरों पर अभिलेखों की संवीक्षा द्वारा तथापि एसीओएस पर 31 ऐसे मामलों में ₹ 2.20 करोड़ की हानि उजागर हुई। इस प्रकार, अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) के पास एसीओएस पर घटित चोरी, कमी एवं आगजनी के मामलों के बारे में उचित सूचना उपलब्ध नहीं थी। साथ ही, उपखण्डीय स्टोर्स पर चोरी, कमी एवं आगजनी की घटनाएं जो संबंधित अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) द्वारा नियंत्रित होती हैं, को रिपोर्ट करने की कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी। इस

प्रकार, एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स पर चोरी एवं आगजनी के कारण हुई हानि का निर्धारण नहीं किया जा सका। हमने देखा कि कम्पनी द्वारा एसीओएस पर सामग्री का बीमा कराया गया लेकिन उपखण्डीय स्टोर्स के लिए बीमा नहीं कराया गया था।

सरकार ने बताया कि सामग्री की चोरी के मामले में जांच के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के संबंध में समस्त संभव कार्यवाही की जायेगी। साथ ही, कम्पनी के सभी उपखण्डीय स्टोर्स का बीमा कराने के लिए प्रधान कार्यालय को एक प्रस्ताव भेजा जा चुका था।

सक्षम प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रण एवं निगरानी के अभाव के कारण निर्धारित अभिलेखों का रख-रखाव नहीं करने तथा सामग्री के गबन, आगजनी एवं कमी पर प्रकाश डालते हुए चार दृष्टान्तों की चर्चा नीचे की गई है। ये दर्शाते हैं कि गबन एवं कपट के मामलों पर कार्यवाही में बहुत देरी की गई है।

कॉपर कॉइल की कमी

2.23.1 हमने देखा कि जेपीडीसी एसीओएस द्वारा 28 मई 2007 एवं 5 अक्टूबर 2013 के बीच की अवधि के दौरान 13 बार नीलामी का आयोजन किया गया लेकिन इसके द्वारा हर बार अभिलेखों में दर्शायी गई कॉपर कॉइल की वास्तविक मात्रा (कॉपर कॉइल की 50,350 किग्रा को सम्मिलित नहीं करते हुए जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी) से कम मात्रा नीलामी में प्रस्तावित की गई।

अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा, तथापि, एसीओएस द्वारा कम मात्राओं की बिक्री के कारणों को कभी संज्ञान में नहीं लिया। साथ ही, सामग्री की चोरी के बारे में निवासियों से शिकायतें प्राप्त हुई थी लेकिन शिकायतों की विश्वसनीयता की जांच के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। एसीओएस से सामग्री की चोरी के लिए एक निवासी द्वारा कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई (22 मई 2012) जिसके आधार पर पुलिस द्वारा चोरों को पकड़ा गया एवं उनसे 350 किग्रा कॉपर कॉइल बरामद की गई। पुलिस द्वारा बरामद की गई सामग्री के आधार पर एसीओएस द्वारा भी 350 किग्रा कॉपर की चोरी के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई। तथापि, एफआईआर दर्ज करने एवं कॉपर कॉइल की बरामदगी के बाद भी अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा इसकी जांच नहीं की गई।

बाद में, वार्ड कीपर का स्थानांतरण कर दिया गया (जुलाई 2014) तथा हैंडिंग ओवर एवं टेकिंग ओवर के दौरान 19.62 एमटी (₹ 98.11 लाख) कॉपर कॉइल की कमी का पता लगा। अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया (9 जुलाई 2014)। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एसीओएस/ स्टोर्स अधीक्षक/ वार्ड कीपर द्वारा कॉपर कॉइल की प्राप्ति में लापरवाही बरती गई थी। बहुधा मामलों में, स्टोर प्राप्ति नोटस बिना वजन कार्ड के तैयार किये गये थे। संबंधित सहायक अभियंता द्वारा वजन कार्ड में प्रविष्टि की गई मात्रा से कम अथवा अधिक सामग्री प्राप्त की गई जिसने एसीओएस के स्टाफ द्वारा मिलीभगत को इंगित किया। साथ ही, बहुधा मामलों में, वजन कार्ड्स पर स्टोर अधीक्षक एवं मैसेंजर द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये थे जिसने सामग्री के गबन को बढ़ावा दिया। रिपोर्ट के अनुसार, वाहन मूवमेंट रजिस्टर का भी उचित रूप से रखरखाव नहीं किया गया था तथा हाथ से भरे जाने वाले कॉलम एवं प्रविष्टियां खाली अथवा अपूर्ण थे। यह भी ज्ञात हुआ कि

एसीओएस द्वारा 6,470 किग्रा (₹ 32.35 लाख) कॉपर कॉइल की अतिरिक्त मात्रा उपस्वण्ड कार्यालयों को जारी की गई थी एवं इसके कारण सामग्री की कमी छुपी हुई थी।

हमने देखा कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के अभाव एवं एसीओएस द्वारा अभिलेखों के अनुचित रखरखाव के कारण सात वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 1.30 करोड़ की सामग्री के गबन को बढ़ावा दिया गया जिसने आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पूर्ण विफलता को इंगित किया। अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा निवासियों की शिकायतों एवं सामग्री सत्यापनकर्त्ता की रिपोर्ट्स पर उचित कार्यवाही करना आवश्यक था जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि अपर्याप्त जनशक्ति एवं समय के कारण कॉपर कॉइल का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कॉपर कॉइल की कमी के संबंध में जांच के लिए कम्पनी द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित थी। आगे यह भी बताया कि अब कॉपर कॉइल की मात्रा को छंट लिया गया है एवं इसे स्टोर में अलग रख दिया गया है।

सामग्री का अनुचित भण्डारण तथा खराब सामग्री को जमा कराने में विफलता

2.23.2 प्रबंध निदेशक (जनवरी 2010) एवं अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) (जून 2014) द्वारा उपस्वण्डीय स्टोर्स को गारण्टी अवधि के दौरान खराब हुए ट्रांसफॉर्मरस को सात दिनों की अवधि में एसीओएस के पास जमा कराने के लिए आदेश जारी किये गये थे। साथ ही, अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा कम्पनी के स्टोर्स में आगजनी की किसी घटना को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए आदेश जारी किये गये (सितम्बर 2014)। आदेशों में कहा गया था कि एसीओएस एवं उपस्वण्डीय अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि ट्रांसफॉर्मर तेल, ट्रांसफॉर्मरस, केबल, सीटीपीटी सैट जैसी ज्वलनशील मदों को स्टोर्स कार्यालय के उपर से गुजरने वाली किसी हाई टेंशन लाइन के नीचे नहीं रखी जाये, सीटीपीटी सैटस एवं गारण्टी अवधि में खराब हुए ट्रांसफॉर्मरस के अभिलेख अलग-अलग रखे जाये, एवं सामग्री समय पर जमा कराई जाये।

हमने देखा कि मालाखेड़ा उपस्वण्डीय स्टोर पर आग लग गई थी (अप्रैल 2016)। समिति ने बताया कि शोर्ट सर्किट एवं 70,000 लीटर जले हुए ट्रांसफॉर्मर के तेल एवं खराब हुए वितरण ट्रांसफॉर्मरस के कारण आग फैली। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि ₹ 2.87 करोड़ मूल्य की सामग्री की हानि हुई। सामग्री की हानि में मुख्य रूप से 67 खराब हुए ट्रांसफॉर्मरस (₹ 36.08 लाख) शामिल थे जो गारण्टी अवधि में थे, एवं 676 खराब ट्रांसफॉर्मरस (₹ 2.37 करोड़) जिनकी गारण्टी अवधि समाप्त हो चुकी थी। गारण्टी अवधि में खराब हुए ट्रांसफॉर्मरस दो वर्षों से अधिक की अवधि से भण्डार में पड़े हुए थे। साथ ही, जला हुआ ट्रांसफॉर्मर का 70,000 लीटर तेल एकत्रित हो गया था क्योंकि इसे समय पर एसीओएस में जमा नहीं कराया गया था।

हमने देखा कि सहायक अभियंता द्वारा सामग्री के सुरक्षित स्थान पर भण्डारण के संबंध में दिये गये आदेशों की पालना नहीं की गई क्योंकि ज्वलनशील सामग्री (ट्रांसफॉर्मर का तेल एवं ट्रांसफॉर्मरस) को हाई टेंशन लाइन के नीचे रखा गया था एवं इस प्रकार, ऐसी कोई घटना अवश्यंभावी थी। साथ ही, गारण्टी अवधि के दौरान खराब हुए ट्रांसफॉर्मरस को भी समय पर एसीओएस में जमा नहीं कराया गया था।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा सामग्री के अनुचित भण्डारण के कारण ₹ 3.27 करोड़ (₹ 40.15 लाख मूल्य के ट्रांसफॉर्मर के तेल को सम्मिलित करते हुए) की सामग्री की हानि वहन की गई। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि मामले में जांच के लिए एक समिति गठित की जा चुकी है।

अवशिष्ट सामग्री की कमी के लिए जांच में देरी

2.23.3 कम्पनी द्वारा एसीओएस अलवर में पड़े हुए 32.71 एमटी एसीएसआर कंडक्टर के निस्तारण के लिए ई-नीलामी की गई (3 जुलाई 2012)। तथापि, कम्पनी, फर्म को केवल 20.93 एमटी कंडक्टर ही प्रदान कर सकी (अगस्त एवं सितम्बर 2012) एवं शेष कंडक्टर एसीओएस के पास उपलब्ध नहीं था। एक समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया (अक्टूबर 2012) एवं पाया कि खाताबही के अनुसार कंडक्टर का शेष 14.15 एमटी था (19 सितम्बर 2012 तक) लेकिन एसीओएस के पास केवल एक से दो एमटी कंडक्टर ही उपलब्ध था। माप के अनुसार, 11.25 एमटी अवशिष्ट कंडक्टर की कमी थी।

अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित की गई (फरवरी 2013)। समिति द्वारा, तथापि, चार वर्षों से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी (मई 2017)। इस प्रकार, ₹ 15.19 लाख मूल्य की सामग्री के गबन के मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि मुख्य अभियंता (एमएम) एवं अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा समिति के सदस्यों के साथ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस मामले के संबंध में नियमित रूप से अनुसरण किया जा रहा था।

निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना नहीं करने के कारण गबन

2.23.4 सामग्री सत्यापनकर्त्ता द्वारा दिसम्बर 2009 से नवम्बर 2013 की अवधि के लिए जेसीसी के अन्तर्गत उपखण्डीय स्टोर (डी-III) के भौतिक सत्यापन के दौरान ₹ 64.92 लाख मूल्य की विभिन्न लम्बाई की केबल्स (22.23 किमी) एवं अन्य सामग्री की कमी को ध्यान में लाया गया। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में दर्शाया गया कि मांग-पत्र पुस्तिका की चार प्रतियां (4268/10 एवं 4268/11) उपलब्ध नहीं थी एवं इसकी पांचवी प्रति खाली थी जिसने मांग-पत्रों के दुरुपयोग के बारे में संदेह पैदा किया। स्टोर द्वारा भी ₹ 1.19 करोड़ मूल्य की सामग्री के लिए अप्रैल 2013 से नवम्बर 2013 की अवधि के दौरान सामग्री रजिस्टर में प्रविष्टियां नहीं की गई थी। सहायक अभियंता (डी-III) ने बताया (जनवरी 2014) कि स्टोर्स की उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच की गई थी एवं ₹ 35.30 लाख मूल्य की विभिन्न लम्बाई की केबल्स कम पाई गई थी। आंतरिक अंकेक्षण द्वारा देखा गया (फरवरी 2014) कि उपखण्ड से केबल की कोई आवश्यकता एवं मांग नहीं होने के बावजूद भी भण्डारपाल द्वारा जुलाई 2013 एवं नवम्बर 2013 के बीच विभिन्न मांग-पत्रों के माध्यम से एसीओएस से 4 सी गुणा 300 वर्गमीटर एलटी एक्सएलपीई केबल्स के 10 ड्रम्स जारी किये गये थे। हमने देखा कि निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं करने के कारण ₹ 35.30 लाख के गबन की घटना हुई क्योंकि एसीओएस एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) द्वारा सामग्री जारी की गई जो फिल्ड कार्यालय द्वारा आवश्यक नहीं थी। एसीओएस एवं अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) द्वारा यह

सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था कि सामग्री की मांग कार्यानुसार की जा रही थी एवं सामग्री केवल अभिहित कार्य के लिए जारी की गई थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि सामग्री की कमी के लिए एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।

अवशिष्ट का निस्तारण

2.24 स्टोर्स मैनुअल में प्रावधान था कि विद्युत लाइनों से उतारी गई सामग्री को, चाहे ठीक हालत में अथवा नहीं, सीओएस 24 में दर्ज किया जायेगा। उपयोगी सामग्री को सामग्री के शेष में शामिल करने की जरूरत है जबकि अनुपयोगी अवशिष्ट सामग्री को सामग्री क्रेडिट नोट के माध्यम से संबंधित एसीओएस के पास जमा कराया जाना चाहिए। एसीओएस द्वारा स्टोर प्राप्ति नोट तैयार करना एवं अवशिष्ट के रजिस्टर में प्रविष्टि करना आवश्यक था।

चयनित एसीओएस के अधीन 21 उपखण्डीय भण्डारों पर अभिलेखों की समीक्षा से उजागर हुआ कि भण्डारपालों द्वारा उतारी गई सामग्री को सीओएस 24 में दर्ज नहीं किया गया था। उपखण्डीय स्टोर्स द्वारा सामग्री क्रेडिट नोटस तैयार किये गये जो एसीओएस द्वारा स्वीकार कर लिये गये थे। इसने दर्शाया कि अवशिष्ट सामग्री पर कोई नियंत्रण नहीं था क्योंकि एसीओएस के पास उपखण्डीय भण्डार द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर लेखांकन किया गया था। लाइन/ परियोजनाओं को हटाने के समय उतारी गई वास्तविक सामग्री का अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

सामग्री के निस्तारण नियमों के अनुसार निस्तारित की जाने वाली सामग्री के संबंध में एसीओएस द्वारा त्रैमासिक सर्वेक्षण रिपोर्टस तैयार करना एवं सिफारिशें करना आवश्यक था। अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा स्टोर्स के निस्तारण के अनुमोदनार्थ सर्वेक्षण रिपोर्टस का सार निदेशक मण्डल के सामने रखा जाना था।

तथापि, चयनित एसीओएस द्वारा सर्वेक्षण एवं त्रैमासिक रिपोर्टस तैयार नहीं की गई। हमने देखा कि 2012-17 के दौरान अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) के आदेशों पर केवल 11 सर्वेक्षण रिपोर्टस तैयार की गईं। साथ ही, सर्वेक्षण रिपोर्टस में नीलामी के लिए रखी जाने वाली मदों के अनुपयोगी होने के कारणों को नहीं दर्शाया गया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि उतारी गई सामग्री के उचित अभिलेख रखने के लिए फिल्ड अधिकारियों को आदेशित कर दिया जायेगा।

अवशिष्ट सामग्री की बिक्री

2.24.1 कम्पनी द्वारा 2014-15 तक एसीओएस स्तर पर अवशिष्ट सामग्री की खुली नीलामी का आयोजन किया गया था। इसके साथ-साथ, मेटल एवं स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (एमएसटीसी) लिमिटेड के पार्टल के माध्यम से ऑनलाइन नीलामी का आयोजन भी किया गया

था। 2012-17 के दौरान अवशिष्ट हुई सामग्री एवं की गई नीलामी का विवरण निम्नानुसार था:
(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल अवशिष्ट	नीलाम किया गया अवशिष्ट	अन्तिम शेष	विक्रय किये गये अवशिष्ट से कुल अवशिष्ट का प्रतिशत
2012-13	8.40	8.27	16.67	5.81	8.93	34.88
2013-14	9.00	10.23	19.23	6.86	10.84	35.67
2014-15	10.83	14.78	25.61	8.94	15.4	34.91
2015-16	14.87	63.05	77.92	59.71	17.91	76.63
2016-17	17.14	202.81	219.95	103.99	103.64	47.28
योग		299.14		185.31		

(नोट: प्रारम्भिक एवं अंतिम शेषों का मिलान नहीं हो रहा है। आंकड़े कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं।)

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-16 तक निस्तारण के लिए अवशिष्ट सामग्री लगातार बढ़ती जा रही थी। यह 2015-16 में ₹ 63.05 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 202.81 करोड़ हो गई क्योंकि खराब हुए वितरण ट्रांसफॉर्मरस (2010 तक निर्मित) की मरम्मत को अमितव्ययी मान लिया गया था। कम्पनी वर्ष के दौरान सम्पूर्ण अवशिष्ट सामग्री की नीलामी नहीं कर सकी जिसके परिणामतः एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स पर खाली स्थान की समस्याएं उत्पन्न हो गईं। साथ ही, अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा एसीओएस पर पड़ी हुई अवशिष्ट सामग्री की प्रारम्भिक, प्राप्ति एवं अंतिम मात्रा का मिलान नहीं किया गया।

सरकार ने बताया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के तुरंत बाद अवशिष्ट सामग्री की ई-नीलामी शुरू की जा रही है। निकासी सभा के दौरान कम्पनी के प्रबंधन ने बताया कि अनावश्यक लाइनों की पहचान करने एवं अवशिष्ट सामग्री के निस्तारण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जा चुका है। प्रबंधन ने आगे बताया कि कम्पनी के कर्मचारियों को अवशिष्ट सामग्री के निस्तारण के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा था।

स्टोर्स का बीमा

2.25 कम्पनी द्वारा चोरी, आगजनी इत्यादि के विरुद्ध एसीओएस पर सामग्री का बीमा शुरू किया गया (2010-11)। मार्च 2017 को, बीमा कम्पनियों द्वारा ₹ 40.44 लाख के 14 दावे स्वीकार किये गये, ₹ 53.34 लाख के 10 दावे स्वारिज किये गये, एवं ₹ 12.62 लाख के आठ दावे निर्णय के लिए लम्बित थे।

हमने देखा कि कम्पनी के उपखण्डीय स्टोर्स द्वारा भी बड़ी मात्रा में सामग्री की नई एवं अवशिष्ट मर्दों को रखा गया था। अनुचित भण्डारण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्टोर्स की स्थिति के कारण चोरी एवं आगजनी का जोखिम भी काफी अधिक है। तथापि, कम्पनी द्वारा चोरी एवं आगजनी के बहुत मामलों के उपरांत भी उपखण्डीय स्टोर्स का बीमा नहीं कराया गया। अभिलेखों की समीक्षा से उपखण्डीय स्टोर्स पर चोरी एवं आगजनी के छह मामले उजागर हुए जिसके कारण कम्पनी को ₹ 4.04 करोड़ की हानि हुई। कम्पनी बीमा पॉलीसियों के अभाव में हानि की पूर्ति नहीं कर सकी।

सरकार ने बताया कि सभी उपखण्डीय स्टोर्स के बीमा के लिए एक प्रस्ताव निदेशक (तकनीकी) के पास विचाराधीन था।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा परिणामों द्वारा सामग्री की आवश्यकता निर्धारण एवं प्रापण प्रणाली में कमियों को उजागर किया गया जिसने सामग्री के अभितव्ययी क्रय, विशिष्ट विवरणों की पुष्टि नहीं करने वाली सामग्री के क्रय, बिना आवश्यकता के सामग्री की समयपूर्व प्राप्ति तथा बिना उचित जांच एवं निरीक्षण के सामग्री को स्वीकार करने को बढ़ावा दिया। कम्पनी द्वारा एक वैज्ञानिक एवं प्रभावी सामग्री प्रबंध प्रणाली को नहीं अपनाया गया। सामग्री के महत्वपूर्ण स्तर निर्धारित नहीं किये गये एवं सामग्री के कुशल प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए सामग्री मूवमेंट विश्लेषण नहीं किया गया था। इसके परिणामतः सामग्री स्टोर्स पर निष्क्रिय पड़ी रही। सामग्री को जारी करने एवं लेखांकन से संबंधित उचित अभिलेख नहीं रखे गये थे तथा भौतिक सत्यापन की प्रणाली अपर्याप्त थी जिसके कारण सामग्री की चोरी एवं गबन के मामले हुए।

सिफारिशें

- कम्पनी द्वारा राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं उसके अधीन नियमों के अनुसार क्रय मैनुअल को पुनरीक्षित करना चाहिए।
- कम्पनी को फिल्ड की आवश्यकताओं के अनुसार प्रापण को सुनिश्चित करने के लिए सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण की प्रक्रिया को धाराप्रवाह करना चाहिए।
- कम्पनी द्वारा निविदाओं को निर्धारित समयावधि में अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए एवं निर्धारण में देरी के मामले में उच्च प्राधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। निविदाओं एवं अनुबंधों को प्रदान करने के लिए निर्धारित क्रियाविधियों का विवेकपूर्ण ढंग से अनुसरण आवश्यक है।
- कम्पनी को निरीक्षण एवं जांच क्रियाविधियों को सशक्त बनाया जाना चाहिए एवं आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा सामग्री की आपूर्ति के समय पर तकनीकी विशिष्ट विवरणों की कड़ी अनुपालना को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- कम्पनी द्वारा सामग्री के कुशल प्रबंध के लिए सामग्री नियंत्रण तकनीकें अपनायी जानी चाहिए तथा सामग्री के उत्तम नियंत्रण एवं निगरानी के लिए निर्धारित अभिलेखों को उचित ढंग से संधारित किया जाना चाहिए।
- कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट समयांतरालों पर भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए तथा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स में पाई गई विसंगतियों पर सुधारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

